इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2016—कार्तिक 6, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. ई-1-325-2016-5-एक.—श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्र. ई-5-594-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 5 से 22 अक्टूबर 2016 तक, अठारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री प्रमोद अग्रवाल की विदेश प्रवास की अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) श्री प्रमोद अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदारलाल शर्मा, आयएएस., विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

दिनांक 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री केदारलाल शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. ई-1-312-2016-5-एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजीव शर्मा, भा. प्र. से. (2004), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक पदेन उप प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-5-789-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस., कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना को दिनांक 19 से 29 अक्टूबर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री शिवानंद दुबे की अवकाश अवधि में श्री शिव नारायण रूपला, भाप्रसे (2000) आयुक्त, ग्वालियर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शिवानंद दुबे द्वारा कमिश्नर चंबल संभाग, मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण रूपला, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम को दिनांक 7 से 24 नवम्बर 2016 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 6 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री अनिल श्रीवास्तव, भावसे, आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, द्वारा संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिल श्रीवास्तव, भावसे, संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. ई-5-649-आयएएस-लीव-5-एक.—(1)श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएएस., सचिव (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 6 से 14 अक्टूबर 2016 तक नौ दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 15 एवं 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को सचिव (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्र. ई-1-328-2016-5-एक(ए).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर, 2016 की तालिका-1 अनुक्रमांक-7 से श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन को आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. श्री कियावत द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा आयुक्त तथा आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ केवल आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई 1-328-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री के. के. सिंह (1985) राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2.	श्री अशोक शाह (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुम्मकड़ जनजाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	-
3	श्री अरूण कुमार पाण्डे (1992) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम.	राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
4.	श्री सचिन सिन्हा (1995) संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी एवं सचिव मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुम्मकड़ जनजाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	-
5.	श्री सुखवीर सिंह (1997) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत	आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री एस. सुहेल अली (1999) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	सदस्य, राजस्व मंडल ग्वालियर	-
7.	श्री कवीन्द्र कियावत (2000) सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	आयुक्त-सह-पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का अतिरिक्त प्रभार.	-
8.	श्री एम. के. अग्रवाल (2000) आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर	-
9.	श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा (2003) अपर कलेक्टर, रीवा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	-
10	श्री पतिराम कतरौलिया (2005) अपर कलेक्टर, खरगौन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन (इस विभाग के आदेश क्र. ई-1-156-2016-5-1-एक, दिनांक 19 जुलाई, 2016 जिसके द्वारा श्री पतिराम कतरौलिया को वि. क. अ.-सह-अपर-संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर पदस्थ किया गया है, एतद्द्वारा निरस्त करते हुए).	-
11.	श्री गोपाल चन्द्र डाड (2008) अपर मेला अधिकारी, सिंहस्थ, उज्जैन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	-
12	सुश्री निधि निवेदिता (2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली.	परियोजना संचालक, आई.सी.डी.एस. महिला एवं बाल विकास विभाग	मु. का. अ., जिला पंचायत
13	श्री सतीश कुमार एस (2013) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) पचमढ़ी तथा सचिव, महादेव मेला समिति, पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद.	-

(2) उपरोक्तानुसार श्री के. के. सिंह (1985)द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल के (अतिरिक्त प्रभार) केवल अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4) श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, संचालक आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र. ई 1-329-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भा.प्र.से., अधिकारियों को अस्थायी रूप से, दिनांक 30 नवम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए कानून व्यवस्था तथा राजस्व प्रकरणों के प्रशिक्षण और राजस्व आदेश पारित करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने हेतु उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय गुप्ता (2007) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, जबलपुर	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2.	डॉ. मंजू शर्मा (2007) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, भोपाल	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	डॉ, श्रीकांत पाण्डेय (2007) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, ग्वालियर	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री शमीम उद्दीन (2008) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, इन्दौर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई-5-546-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई. सी. पी. केशरी, विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 14 से 24 सितम्बर 2016 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 25 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई. सी. पी. केशरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अमित राठौर, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 24 से 29 अक्टूबर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस, तत्कालीन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 29 अगस्त से 27 सितम्बर 2016 तक तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-869-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 24 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 25 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2016 तक की अवधि एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-882-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 24 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 25 अक्टूबर से 6 नवम्बर 2016 तक की अवधि एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-915-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री नेहा मारव्या, आयएएस., अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-1(ए)172-97-ब-2-दो.—मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2016 तक दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कोच्ची केरल की अवकाश यात्रा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्र.	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
1.	मो. शाहिद अबसार	स्वयं
2.	श्रीमती शबाना अबसार	पत्नी
3.	कु. नोया अबसार	पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से. का चालू कार्य श्रीमती श्रद्धा तिवारी, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगी.

(3) अवकाश से लौटने पर मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से. द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मो. शाहिद अबसार, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद बने रहते.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 1(बी)84-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	02	श्री प्रदीप कुमार, द्वारा कमला देवी वर्मा, डॉ. दीपक गुप्ता, आई/एफ आटा की चक्की, कैमासन नगर झांसी, उ. प्र.-284128.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर.

(2) नवनियुक्त अधिकरी को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम (4) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नवनियुक्ति अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(8) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(9) प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(10) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियॉ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2016

पंजी क्र. 729-2016-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राम प्रकाश शरण, सेवानिवृत्त, जिला न्यायाधीश को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में न्यायिक सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिये या उस समय तक के लिए जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए नियुक्त करता है.

File No. 729-2016-XXI—B(2).—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) The State Government hereby appoints Shri Ram Prakash Sharan, Retired District Judge, as a Judicial Member of the M. P. Arbitration Tribunal Bhopal from the date he assumes charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years whichever is earlier.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

क्र. 16474-409-इक्कीस-अ(स्था.)-गोप-2016.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची दो में,—

(एक) अनुक्रमांक 1 में, कॉलम (5) में विद्यमान अंक तथा शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित अंक तथा चिन्ह स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"100%.".

(दो) अनुक्रमांक 10 में, कॉलम (5) में विद्यमान अंक तथा शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित अंक तथा चिन्ह स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"100%.".

(तीन) टिप्पणी क्रमांक 1 तथा 3 का लोप किया जाए तथा टिप्पणी 2 तथा 4 को टिप्पणी क्रमांक 1 तथा 2 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

No. 16474-409-XXI-A(Estt.)-Confi-2016.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Law and Legislative Affairs Department (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-II,—

(i) In serial number 1, in column (5) for the existing figures and words, the following figure and sign shall be substituted, namely :—
"100%.".

(ii) In serial number 10, in column (5) for the existing figures and words, the following figure and sign shall be substituted, namely :—
"100%.".

(iii) Note No. (1) and (3) shall be omitted and note number 2 and 4 renumbered as Note 1 and 2.

फा. क्र. 3182-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायमूर्ति श्री एम. के. मुदगल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए नियुक्त करता है.

File No. 3182-2016-XXI—B(2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh, Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) the State Government hereby appoints Justice Shri M. K. Mudgal, Retired Judge of Madhya Pradesh High Court as Chairman of the Madhya Pradesh, Arbitration Tribunal from the date he assumes charge for the period of five years or till he attains the age of sixty seven years whichever is earlier.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-3789.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख, दर्शाये अनुसार कुटुम्ब न्यायालयों में प्रधान/अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम एवं पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बी. एल. झा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर.
2.	श्रीमति सुरभि मिश्रा, तृतीय अपर जिला, न्यायाधीश, देवास.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर.
3	श्री पवन कुमार शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश, लहार (भिंड).	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी/ लिंक श्योपुर.
4.	श्री उमेश कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश, नरसिंहगढ़	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट.
5	श्री एन. पी. सिंह रजिस्ट्रार (J-III) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

पंजी क्र. 3597-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 2 के खण्ड (26) में तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खण्ड (द) में यथा परिभाषित इलेक्ट्रानिक रूप में न्यायालय फीस, वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन) की इलेक्ट्रानिक स्टाम्पिंग पद्धति "सम्पदा" के माध्यम से "ई-स्टाम्पिंग" के द्वारा या वित्त विभाग तथा यथास्थिति उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के एकीकृत साफ्टवेयर के माध्यम से साइबर कोषालय को फीस के इलेक्ट्रानिक अन्तरण द्वारा, वसूल की जा सकेगी.

F. No. 3597-XXI—B(2).—In exercise of the powers conferred by Section 26 of the Court Fees Act, 1870 (No. VII of 1870), as applicable to the State of Madhya Pradesh, the State Government, being satisfied that it is necessary to do so in public interest and in concurrence with the High Court of Madhya Pradesh, hereby directs that the realization of Court fee in electronic form as defined in clause (26) of Section 2 of Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and clause (r) of Section 2 of Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), may be accomplished by means of "e-stamping" through Commercial Tax (Registration Department's Electronic Stamping Systems "Sampada" or by electronic transfer of fees to Cyber Treasury through the integrated software of the Finance Department and High Court or District Court as the case may be.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-10-1-2016-बी-ग्यारह.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि बेकारी का निवारण करने तथा बेकारी से राहत प्रदान करने और संबंधित उपक्रम में कार्यरत श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के उपाय के तौर पर औद्योगिक कम्पनी अर्थात् **मेसर्स नियो कार्प इंटरनेशनल लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार (मध्यप्रदेश)** को चालू रखने के समर्थ बनाने की दृष्टि से उक्त औद्योगिक कम्पनी को "सहायता उपक्रम" घोषित करना लोकहित में तथा श्रमिकों के हित में आवश्यक तथा समीचीन है.

(2) अतएव मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978 (क्रमांक-32 सन् 1978) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा औद्योगिक

कम्पनी अर्थात् **मेसर्स नियो कार्प इंटरनेशनल लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार (मध्यप्रदेश)** को इस अधिसूचना के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए सहायता उपक्रम घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. एफ. 10-1-2016-बी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10-1-2016-बी-ग्यारह, दिनांक 4 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 4th October 2016

No. F-10-1-2016-B-XI.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary as well as expedient in the public interest of workers to declare the industrial company namely:— NEO CORP INTERNATIONAL LIMITED, PITHAMPUR DISTT. DHAR (MADHYA PRADESH) a relief undertaking with a view to enabling the continued running of the industrial company as a measure of preventing and of providing relief against unemployment and also to safeguard the interest of the labour working in the said industrial company.

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Shayata Upkaram (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby declares the industrial company namely: NEO CORP INTERNATIONAL LIMITED, PITHAMPUR DISTT. DHAR (MADHYA PRADESH) a relief Undertaking for a period, of one year with effect from date of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
MOHAMMAD SULEMAN, Principal Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-25-34-2016-दस-3-**संशोधन.**—इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2016 के हिन्दी संस्करण में अनुसूची में अंकित "खसरा क्रमांक" एवं "क्षेत्रफल (हेक्टेयर)" को निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जावे :—

संशोधित "खसरा क्रमांक" एवं "क्षेत्रफल (हेक्टे.)"

खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
538	1.166
540	1.987
541/2	4.552
914/2	4.049
916	1.344
917	0.939
922/1	7.545
922/2	5.000
923/2	6.344
927	2.679
237/4	6.172

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-25-19-2016-दस-3-**संशोधन.**—इस विभाग द्वारा धार जिले के अन्तर्गत वनखण्ड सुलीबर्डी की जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 मई 2016 के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जावे :—

"हिन्दी संस्करण"

(1) अनुसूची की कण्डिका—1 में 5वें कॉलम के द्वितीय पंक्ति में "339/1/" के स्थान पर संशोधन कर "339/1/1"

(2) (क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधार के सरल क्रमांक 1 की 5वीं पंक्ति में टंकित "भूमि 40 हेक्टेयर" के स्थान पर "भूमि 30 हेक्टेयर" संशोधन कर पढ़ा जावे.

"अंग्रेजी संस्करण"

(3) (A) Reason for pulication of Notification की कण्डिका—1 में 5वीं पंक्ति में अंकित "Non Forest Land of 40 hectare" के स्थान पर "Non Forest Land of 30 hectare" पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-3-2016-इकतालीस-2 भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

1. VISION

This policy aims to develop Information Technology (IT), Information technology enabled services (ITeS)and Electronic System Design and Manufacturing (ESDM)as a vibrant industry for inclusive growth and creating employment opportunities for people in the State and to promote innovation and entrepreneurship.

2. OBJECTIVES

1. To increase the flow of investments in the State in Information Technology industry, ITeS & ESDM sectors.
2. To maximize direct and indirect employment generation opportunities for the youth in the state.
3. To promote development of the IT, ITeS and ESDM sectors in a balanced manner in the State.

3. STRATEGIES

1. To ensure availability of land at reasonable price for the use of IT, ITeS & ESDM units.
2. Provide fiscal incentives for attracting investments and to make the State an attractive destination for the IT, ITeS and ESDM sectors.
3. Promote the adoption of industry best practises to make the State globally competitive.
4. Promote the development of a vibrant startup ecosystem supported by an Incubator network to promote innovation, entrepreneurship and home grown IT Units in the State.

4. COURSE OF ACTION

1) The State Government will earmark government land at suitable locations for establishment of IT, ITeS, EDSM units and IT Investment Areas and make it available to the various eligible stakeholders at reasonable prices.

2) The State Government would take steps to promote public and private sector investment in the establishment of IT Parks and Electronic Manufacturing Clusters in the State.

3) Development plan prepared under the T&CP Act have provisions for Public and Semi-public land use (PSP land use). Such land can be allotted to IT industry. Development Authorities may specifically earmark some parts of PSP land in their possession for the use of IT/ITeS/ESDM industry. Such earmarked land will be allotted as per the provisions of this policy.

4) Land of AKVN, urban local bodies, MSME and Revenue Departments can also be allotted to entities eligible under this Policy. These lands will also be allocated as per the provisions of this Policy by the department/authority to whom the land belongs.

5) The State Government will work in close coordination with Government of India for the development of the IT, ITeS and ESDM sector in Madhya Pradesh.

6) The State Government will promote the development of incubation centres, plug and play facilities in the State to promote development of Startups.

7) The State Government will promote the development of the ITeS sector in small towns and in rural areas to increase employment opportunities in such areas.

5. APPLICABILITY OF THIS POLICY

Information Technology (IT), Information Technology Enabled Services (ITeS), Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) and other allied activities as certified by the Authorized Agency of Science & Technology Department, GoMP, will qualify for the benefits of this Policy.

6. SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM

Government of Madhya Pradesh would work for attracting IT, ITeS & ESDM Investment in the State and MP State Electronics Development Corporation (MPSEDC) would act as a nodal agency for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation. MPSEDC would work in close co-ordination with TRIFAC for this purpose and make use of the Single window mechanism developed by TRIFAC.

7. INCENTIVES

7.1. Incentives for development of IT Investment Areas:

7.1.1. Government may notify an area of land developed or proposed to be developed as IT investment area provided that such area shall not be less than 5 acre over a contiguous basis. The land included in such area may be government land including land belonging to Developmental Authorities, Urban Local Bodies, AKVNs etc or private land or a combination of them.

7.1.2. The developers of such IT investment areas shall be eligible for allotment of land, stamp duty and registration charges re-imbursement as per the relevant clause of this policy.

7.1.3. The area would also be eligible for FAR benefits for building construction as given under this policy.

7.1.4. The minimum area under IT/ITeS/ESDM activity in an IT Investment area shall be 60% of the usable land/built up area. In case of land belonging to Government or any Authority the minimum area of the land for IT/ITeS/ESDM activity would not be lesser than that mentioned in the terms of their land allotment.

7.2. Land related benefits

7.2.1. ***Land Allotment***: Government would earmark developed and raw land for establishment of IT/ITeS/ESDM units and IT Investment Areas. This land would be made available to applicants including Developers who are willing to setup IT/ITeS/ESDM units and IT Investment Areas.

7.2.2. ***Applicability of this policy on other government land and land of Developmental Authorities:*** The provisions of this policy in relation to land related benefits shall be applicable to other Government Land including the Land developed by the AKVNs, Urban Local bodies, land of the MSME department, Govt of Madhya Pradesh and Development Authorities constituted under MP Gram Tatha Nagar Nivesh Adhiniyam 1973. The allotment and management of the land would however be done by the respective department/entity.

7.2.3. *Rebate in Cost of Land:*

a) Government land will be allotted to IT/ITeS/ESDM units and Developers of IT Investment Areas at a premium calculated after applying a rebate on the cost of land.

b) The Collector Guideline rate for unirrigated agricultural land of that area, (or the nearest area/village if unirrigated agricultural land rate is not available for that area where land is to be allotted) would be taken as the cost of land.

c) The rebate on the cost of land would depend upon the type of applicant, the purpose for which land is to be used and the terms of allotment and will be as described in Annexure-1.

d) Development charges would be levied separately, if the land has been developed by Government of Madhya Pradesh or its Agencies/ Authorities and will be determined as per the rules framed by the authority/agency that has incurred the development cost.

7.2.4. *Lease rent*: will be charged at the rate of 2% per year of the actual lease premium payable by the Unit.

7.2.5. *Criteria for determination of area of land that can be allotted:*
A unit would be eligible for allotment of land as given below

S.No	Sector	Maximum area that can be allotted at concessional rates	Maximum allotable area on concessional rates
1	IT	1 acre per every 100 people employed in core operations*	25 acres
2	ITeS	1 acre per every 150 people employed in core operations	
3	ESDM	1 acre per every 50 people employed in core operations	

* Core operations means the number of people employed for the main economic activity of the unit and shall exclude people employed in support services such as security guards, gardening, drivers etc.

7.2.6. ***Term of lease***: Land would be allotted on a lease up to 99 years with provision for renewal.

7.2.7. ***Procedure for allotment of land:*** The Authorised agency of Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh would make available the information regarding the land available for allotment to the public by various means including, hosting of information on its website, periodic notifications in newspapers, etc. Allotment would be done on a first come first serve basis by the authorised agency of Science and Technology Department (or the authority whose land is to be allotted). The allotting agency at its sole discretion may decide to allot any land through an open auction.

7.3. Relaxation in Floor Area Ratio (FAR): IT/ITeS/ESDM units and the Developers of 'IT Investment Area' would be permitted to avail an FAR of up to 2.5 or the maximum permissible FAR as per the Development Plan of that area, which ever higher. However in an IT investment area, in case a distinct plot is put to a non-IT use for more than 40% of the usable area/builtup area, the FAR available for that plot would be as per the development plan.

7.4. Sub-lease*:* Allottees would be permitted to sub-lease the built up area or usable land for activities as permitted at the time of allotment, subject to their fulfilling the conditions of employing minimum number of people as per this policy if applicable. The following conditions shall also apply:

a) The Unit/Developer would be free to sub-lease/license portion of land available for ancillary/other industry/commercial/residential use as per the terms of allotment. It is clarified that the allottee would be free to decide the financial terms of the sub-lease.

b) For sub-lease of the part of usable land/builtup area to be used for IT/ITeS/other industry/ESDM activity, the permission of the allotting authority will be required. The allotting authority after satisfying itself that the sub-lease is as per the terms of the lease will take a decision on the application of the applicant and inform him of the decision taken in not later than one month's time of submission of application for grant of sub-lease.

c) The Unit/Developer can sub-lease land/builtup area for ancillary/commercial/ residential purposes only after he satisfies the allotting authority that he has developed the proportionate

amount of area (which is in a ready to use condition) for IT/ITeS as per the terms of the land allotment. Violation of this clause will be treated as a sufficient ground for cancellation and allotment of lease.

7.5. ***Mortgage:*** The units would be permitted to mortgage the land.

7.6. INTEREST SUBSIDY : - Eligible units will get interest subsidy on **term loan** as given below : -

Type of Units	Interest subsidy
For IT/ITeS	• Interest subsidy of 5% of term loan on the interest recovered or the actual rate charged by the lender on term loan, whichever is lower. • The maximum amount that a unit can obtain as re-imbursement will be INR 50 lakhs, over a period of seven years. • The maximum amount that can be re-imbursed in a year would be INR 12 lakhs. • This incentive is applicable for term loan, including Foreign Currency Term Loan.
For ESDM units Loan upto INR 10 Crores	• Interest subsidy of 5% of term loan on the interest recovered or the actual rate charged by the lender on term loan, whichever is lower upto a loan amount of INR 10 Crores. • The maximum amount that can be re-imbursed for any year would be INR 50 lakhs • The maximum number of years for which this benefit can be given is five years. • This incentive is applicable for term loan, including Foreign Currency Term Loan.
For ESDM units Loan beyond INR 10 Crores	• For that portion of the loan beyond Ten Crores Interest subsidy of 2% of term loan on the interest recovered or the actual rate charged by the lender on term loan, whichever is lower shall be applicable.

	• The maximum amount of re-imbursement that a unit shall be eligible for re-imbursement shall be INR 3 Crores per annum (including the INR 50 lakhs for term loan component of less than INR 10 Cr) for a period of five years. • This incentive is applicable for term loan, including Foreign Currency Term Loan.

7.7. CAPITAL SUBSIDY : - Subsidy on Gross Fixed Capital Investment (GFCI) only to eligible units will be given as below : -

Type of Units	Capital subsidy
IT/ITeS	• Capital subsidy of 10% for GFCI upto INR 2.5 Crores limited to INR 25 Lakh. • For GFCI above INR 2.5 Crores, the capital subsidy would be 5% of the incremental GFCI plus INR 25 lakhs for GFCI upto INR 2.5 Crores • The maximum capital subsidy that can be provided would be INR 50 lakhs.
ESDM	• Capital subsidy of 10% for GFCI upto INR 10 Crores limited to INR 1 Crore. • For GFCI above INR 10 Crores the capital subsidy would be 5% of the incremental GFCI plus INR 1 Crore for GFCI upto INR 10 Crores • The maximum capital subsidy that can be provided would be INR 25 Crores.

GFCI definition : - For the purpose of incentives and their applicability, GFCI shall mean investment made in Gross Fixed Capital Investment in plant & machinery, buildings & sheds, but shall not include land & dwelling units.

7.8. IT INVESTMENT PROMOTION ASSISTANCE

a. All new IT/ESDM Units shall be entitled for Investment Promotion Assistance after adjusting the input Tax Rebate on the amount of Value Added Tax (VAT) and Central Sales Tax (CST) (Excluding the amount of VAT on purchase of Raw Materials) paid by them, to the extent given below:

Sl. No.	Eligible Capital Investment	Eligibility	Limited to % of GFCI
1	UptoRs. 10 Crores	75% for a period of 7 years	200%
2	Above INR 10 Crores	75% for a period of 10 years	200%
3	Mobile phone/Tablet/ Computer manufacturing units	75% for a period of 10 years	300%

The reimbursement of IT Investment Promotion Assistance will be made directly to the unit on quarterly basis.

b. Reimbursement in GST - Under the GST regime, as and when it comes into operation, the unit shall be reimbursed up to the extent of SGST paid in the intrastate sale of the specified goods, subject to the tax actually realized into the Government of Madhya Pradesh treasury, net of input credits. Also, in the GST regime, the SGST will be reimbursed at a rate of tax which shall not be higher than the present rate of value added tax (excluding additional tax) of the specified goods.

7.9. REIMBURSEMENT ON SKILL GAP TRAININGS

Sl. No.	Reimbursement on skill gap training	Eligibility	Capping
1	Maximum limit of Rs. 10,000 per employee	50% of the cost incurred	Rs. 1 Crore per unit.

For providing skill gap trainings to the Engineers/IT/ITeS/ESDM Professionals that are domicile of Madhya Pradesh, One time reimbursement will be available to the Unit for the employees trained by the Unit within first two years of commencement of operations.

7.10. INCENTIVE ON QUALITY CERTIFICATIONS

S.No.	Type of incentives	Eligibility	Maximum amount
1.	CMM/CMMi/PCMM	75% of the cost	Rs. 6 Lakh
2.	ISO 9001 or an	50% of the	Rs. 1 Lakh

	equivalent/better Certification	cost	

This incentive will be available only once to the applicant Units.

7.11. **CONCESSIONS ON STAMP DUTY AND REGISTRATION CHARGES**

a) Stamp duty and Registration charges shall be reimbursed to eligible Units/Developers on lease executed on government land including land of Development authorities, Urban local bodies, AKVNs etc.

b) IT/ITeS/ESDM units set up in an IT investment area developed on private land will also be eligible for reimbursement of stamp duty Charges and Registration charges for the first time only.

c) Stamp duty and Registration Charges payable by IT Units on mortgage/hypothecation with banks/financial institutions in IT investment area will also be reimbursed.

7.12. **INCENTIVE RELATED TO STATUTORY REGULATIONS**

The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the IT units:

i. The IT/ITeS/ESDM units shall be granted exemption from the provisions of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act 1958 relating to the hours of business and weekly closure by issuing notification under the Act. Women workers shall also be allowed to work 24 hours subject to the conditions fulfilled by the employers relating to women workers' security and safety at the work place and during the transit.

ii. The hours of work for women employees working in an IT manufacturing unit shall be relaxed under the Factories Act. Accordingly for IT establishments, Women may be able to work 24 hours in such manufacturing units subject to the conditions fulfilled by the employers relating to women worker's security and safety at the work place and during the transit.

iii. The IT units shall be added as an independent employment in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers shall be classified separately and their wages could be fixed as per their efficiency and skill level.

iv. IT Units shall be permitted for self certification of the registers and forms as contemplated under various following Acts viz Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Employees State Insurance Act, Payment of Gratuity Act, Maternity Benefit Act, Equal Remuneration Act, Water & Pollution Act, Employment Exchange Act, Factories Act, Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, Contract Labor (Regulation and Abolition) Act and shall also be allowed to maintain unified register and record instead of maintenance of different registers and records under different Labour Acts.

7.13. ENTRY TAX EXEPMTION : - Exemption from entry tax shall be as follows : -

S.No.	Type of Unit	Entry tax exemption
1.	Electronics System, Design and Manufacturing (ESDM)	As per provisions of the Industrial Promotion Policy of GoMP 2014

7.14. PATENT ASSISTANCE: Assistance for filing patents would be provided as below:

S.No.	Patent	Eligibility	Limit
1.	Domestic	50% assistance, maximum 2 lakh	Rs. 10 lakhs per unit
2.	International	50% assistance maximum 5 lakh	Rs. 25 Lakhs per unit

7.15. ASSISTANCE IN MARKETING

a. All IT Units shall be entitled to receive 50% subsidy on Stall Rentals for participating in designated National/International Exhibitions/Events etc. subject to a maximum limit of Rs. 2 Lakh for International and 1 Lakh for National Events. This incentive shall be available to a unit once in a financial year.

b. Industry Associations will be entitled to receive upto 50% of stall rent for participation in International Trade Fairs as

Madhya Pradesh Pavilion outside India subject to a ceiling of Rs. 10 lakhs. Minimum five industrial unit's participation will be necessary as part of group to avail this assistance. Assistance shall be in the form of reimbursement and the Association shall have to apply within three months from the date of such participation.

7.16. INCENTIVE RELATED TO POWER

As per the provisions of the Industrial Promotion Policy, 2014 and as amended from time to time.

7.17. Special Package for BPO/BPM units: This clause will be applicable to ITeS/BPO/BPM Units. The eligible units can choose to avail benefits either under this clause or the benefits available to normal IT Units as per their choice. The Units availing benefits under this special package will not be entitled to any other benefits of this policy except Land related benefits, Stamp duty and Registration charges re-imbursement. The details of the benefits available to the units under this clause are as follows:

a) One time incentive at the time of Establishing and Starting of BPO/BPM Unit:

Investment Promotion Subsidy will be provided to BPO/ BPM /ITeS units as given below limited to 75% of the actual capital investment.

Population of Town/local body where unit is to be established.	Category	Incentive Per Seat (In Rs.)
>10 Lakh	"A"	50,000
<10 upto 1 Lakh	"B"	56,000
<1 Lakh	"C"	62,000

b) Incentives for operations

Incentives for operations will be available to the new BPO/BPM/ITeS units as given below:-

Population of Town/local body where unit is to be established.	Category	Incentive Per Seat per year for 4 years (In Rs.)
>10 Lakh	"A"	7500

<10 up to 1 Lakh	"B"	11000
<1 Lakh	"C"	14500

Note : -

1. **Census, 2011 figures will apply for population. Town/Local body is meant to include "Planning Area" as notified under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.**
2. **The number of people employed should be at least 1.5 times the number of the seats.**

8. **APPLICABILITY OF THIS POLICY TO NEW UNITS :** New units shall be eligible for all the benefits of this policy, even if they have been setup by a company that has already taken benefits under this policy .

9. Additional Benefits/incentives other than the Policy can be given on Case to case basis after the approval of CCIP.

10. This Policy shall remain in force till the year 2021 or announcement of New Policy superseding this Policy. With this policy coming into force the earlier **'Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012 (as amended 2014)'** and the **'Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/Business Process Management (BPO/BPM) Industry Investment Policy 2014'** would be deemed to have been subsumed by this Policy and hence, cease to exist. However all units availing benefits under that scheme would continue to enjoy the benefits as per the provisions of the old policy and would be ineligible for benefits for the same units under the new policy.

S.No	Type of Applicant	Type of Land	Ratio of land use		Non-IT use permissibility	Rebate on cost of land
			IT/ITeS/ESDM	Ancillary/ Commercial/other Industry/ Residential		
1	IT Unit/ITeS unit	Developed land and Raw land	85%	15%	Up to 15% of the usable land/built-up area for non-IT purposes.	75%
	IT Unit/ITeS	Developed and raw land	60%	40%	Uto 40% of the usable land/built-up area for non-IT purposes	50%
2	ESDM Units	Developed land and Raw land	85%	15%	Use of land only for ESDM purposes. Sub-lease as per the Industrial Promotion Policy, 2014	75%
3	Developer of an IT Investment Area	Raw land	85%	15%	Can sub-lease 85% usable land/ built-up area to IT/ITeS/ESDM units and remaining 15% for ancillary activities	50%
	Developer of an IT Investment Area	Raw Land	60%	40%	Can sub-lease 60% usable land/ built-up area to IT/ITeS/ESDM units and remaining 40% for ancillary activities	25%

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

सूचना

क्र. एफ-3-23-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा इटारसी निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना 2031, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका इटारसी, मध्यप्रदेश.
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-3-23-2015-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना दिनांक 19 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 19th October 2016

NOTICE

No. F-3-23-2015-XVIII-5.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Itarsi, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Collector, District Hoshangabad, Madhya Pradesh.
2. C. M. O., Municipal Council, Itarsi.
3. Dy. Director, Town & Country Planning Distt. Office Hoshangabad Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

–: सूचना :–

क्रमांक एफ–3–5/2015/18–5 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012) की धारा 23–"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ–3–5/2015/18–5 दिनांक 17.06.2016 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बुरहानपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपातंरण की पुष्टि करती है। उपातंरण ब्यौरे निम्नानुसार है –

(उपान्तरण का विवरण)

अनु. क्र.	उपांतरण विवरण
1.	**3.4.14 भू–जल आर्वधन** इन पद्धतियों का समावेश भूमि विकास नियम 1984 में भी किया गया है। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **3.4.14 भू–जल आर्वधन** इन पद्धतियों का समावेश म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 में भी किया गया है।
2.	**4.2 क्षेत्राधिकार** 1. इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत गठित बुरहानपुर निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.2 क्षेत्राधिकार** 1. इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) एवं 13(2) के अंतर्गत गठित बुरहानपुर निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।
3.	**4.3 परिभाषायें** **परिक्षेत्रिक योजना** – निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो। ऐसे विस्तृत विवरण सारणी 4–सा–17, 4–सा–18 में वर्णित सभी स्वीकृति एवं स्वीकार्य उपयोगों के अनुरूप हो। अन्य परिभाषाएं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार मान्य होगी। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.3 परिभाषायें** **परिक्षेत्र योजना** – निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो। ऐसे विस्तृत विवरण सारणी 4–सा–16, 4–सा–17 में वर्णित सभी स्वीकृति एवं स्वीकार्य उपयोगों के अनुरूप हो। अन्य परिभाषाएं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होगी।
4.	**4.4.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उपविभाजन** 7. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम (नियम–94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.4.1 उपयोग परिक्षेत्र का उपयोग परिसरों में उपविभाजन** 7. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट "ञ" नियम–99 में निहित प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के अभिन्यास मान्य होंगे।

5. **4.4.1 (1) आवासीय भूखण्ड विकास**

(टीप–5) भवन की अधिकतम ऊँचाई म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 42–क के अनुसार मान्य होगी।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–

4.4.1 (1) आवासीय भूखण्ड विकास

(टीप–5) भवन की अधिकतम ऊँचाई म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होगी।

6. **4.4.2 समूह आवास**

(अ) ऐसे प्रकार के विकास हेतु स्थल का न्यूनतम आकार 5000 वर्गमीटर होना चाहिए।

(ब) यह सुनिश्चित किया जावें कि 5000 वर्गमीटर आकार स्वीकृत अभिन्यास का एक भाग होगा, जिसमें अनौपचारिक वर्ग के प्रावधान के साथ नगर स्तरीय समन्वित परिभ्रमण तथा वृत्तखण्ड/उप वृत्त खण्ड हेतु आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए।

(स) भू–आच्छादन स्थल के क्षेत्र का 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(द) भवन की अधिकतम ऊचांई म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 42–क के अनुसार होगी। ऐसी व्यवस्था में जब, भू–तल अच्छादित पार्किंग के लिये उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊचांई में पार्किंग तल की गणना नहीं होगी।

(ई) ऐसे स्थल से लगी सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर से कम नहीं होगी।

(फ) ऐसे विकास हेतु सीमांत खुला क्षेत्र निम्नानुसार है :

अग्रभाग न्यूनतम 6 मीटर
आजू/बाजू न्यूनतम 4.5 मीटर
पिछला भाग न्यूनतम 4.5 मीटर

(ग) फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 होगा।

(ह) म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 नियम 82 के अनुसार आवासीय ईकाई का आकार तथा आवासीय ईकाईयों की गणना की जावें।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–

4.4.2 समूह आवास/समूह गृह निर्माण

म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 अनुसार होगें।

7. **4.4.3 बहुविध बहु मंजिली इकाई निर्माण**

ऐसे विकास के स्वरूप का नियंत्रण म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 42क के अनुसार होगा एवं फर्शी क्षेत्रानुपात क्रमशः 1:1.50, 1:1.75 एवं 1:2.0 अधिकतम मान्य होगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–

4.4.3 बहुविध बहु मंजिली इकाई निर्माण

1. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2(38) में परिभाषित अनुसार ऊँचे भवन हेतु नियम 42(2) में प्रावधान दिये गये है। किसी ऐसे भवन जिसकी ऊँचाई 30.00 मीटर तक हो, के लिये सारणी 4 नियम 42(1) के अनुसार नियमन होगें।
2. ऐसे भवन जिनकी ऊँचाई 30.00 मीटर से अधिक प्रस्तावित है, ऊँचे भवनों की श्रेणी में आने के कारण सारणी 5 नियम 42(2) के नियमन संलग्न परिमार्जित सारणी अनुसार मान्य होगें।

सारणी 5

नियम 42(2)

नियम 2(38) में यथा परिभाषित ऊँचे भवनों के लिये भूखण्ड/भूमियॉं जिन पर ऊँचे भवन प्रस्तावित है, के लिये विकास मानदण्ड :

अ.क	मार्ग की चौड़ाई	न्यूनतम भूखण्ड/भूमि (वर्गमीटर में) क्षेत्र	अग्रभाग (मीटर में)	फर्श क्षेत्रअनुपात (एफ.ए.आर.)	भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता	भवन की ऊँचाई (मीटर में)	एम.ओ.एस. अग्रभाग (मीटर में)	बगल का/पृष्ठ भाग का एम.ओ. एस. (मीटर में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	30 मीटर तथा अधिक	2500	30 मीटर	1:2.00	30	45 मीटर तक	15.00 मीटर	7.5 मीटर
2.	36 मीटर तथा अधिक	3000	40 मीटर	1:2.25	30	60 मीटर तक	18.00 मीटर	9.0 मीटर
3.	45 मीटर तथा अधिक	3500	45 मीटर	1:2.25	30	75 मीटर तक	21.00 मीटर	9.0 मीटर
4.	60 मीटर तथा अधिक	4000	50 मीटर	1:2.30	30	90 मीटर तक	24.00 मीटर	10 मीटर
5.	75 मीटर तथा अधिक	4500	60 मीटर	1:2.50	30	90 मीटर से अधिक	30.00 मीटर	12 मीटर

8.	**4.6 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक की सारणी क्रमांक 4–सा–5** 6. विराम स्थल–1.50 कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.6 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक की सारणी क्रमांक 4–सा–5** 6. विराम स्थल म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप मान्य होंगे।

9. **4.6 (द) ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र के मानक**

निवेश क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों पर पेट्रोल पम्प की स्थापना के स्थल हेतु मापदण्ड निम्नानुसार होगें:–

क्रं.	जन–संख्या	निवेश क्षेत्र के भूखण्ड का न्यूनतम आकार	भूखण्ड का अग्र भाग	भूखण्ड के अग्र भाग के सम्मुख सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	सड़क संयोजन (जंक्शन) से न्यूनतम दूरी	अनुमोदित विकास योजना के भूमि उपयोग में अनुज्ञेयता	
		केवल ईंधन भराव केन्द्र	सेवाओं तथा सुविधाओं सहित ईंधन भराव स्टेशन				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1 लाख तक	20x20	35x35	20/35	18	100	आवासीय, वाणिज्यि, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा कृषि।
2.	2 लाख से ऊपर	20X20	20X20	20/35	24	100	

नोट:– समस्त आकड़े मीटर में।

टीप–

1. विकास योजना पुस्तिका के प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन मानचित्र में दर्शित मार्ग संगम पेट्रोल पंप स्थापना हेतु मान्य होंगे।
2. 18 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्गों, जिनमें सर्विस रोड़ का प्रावधान है, मार्ग संगम से दूरी का प्रावधान लागू नहीं होगा परंतु प्रश्नाधीन भूखण्ड के सम्मुख पेट्रोल पंप निर्माणकर्ता, को सर्विस रोड एवं फुटपाथ का निर्माण पेट्रोल पंप के दोनों ओर 250–250 मीटर तक स्वयं के व्यय से करना होगा।
3. किसान सेवा केन्द्र हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले रिटेल आउटलेट हेतु भुखण्ड का न्यूनतम आकार कॉलम 4 के अनुसार मान्य होगा।
4. कॉलम 3 में दर्शाए गए भूखण्ड में वर्कशाप की अनुमति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. कॉलम 4 में दर्शित भूखण्डों में ईंधन भराव केन्द्र में वर्कशाप एवं अन्य सेवा सुविधाओं जैसे–स्नेक स्टॉल, पीने का पानी, ए.टी.एम. शौचालय (लेडिस, जैन्ट्स) इत्यादि की सुविधओं को सम्मिलित कर निर्मित क्षेत्र, कुल भूखण्ड क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं होगा।
6. समस्त पेट्रोल पंप में शौचालय (लेडिस, जैन्ट्स) पीने का पानी, फायर फाईटिंग इत्यादि अनुशांगिक उपकरण की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
7. दो पेट्रोल पंप के बीच की दूरी कम से कम 300 मीटर रखी जाना आवश्यक होगी। सेंट्रल वर्ज वाले मार्गों के लिए एक पेट्रोल पंप के सामने मार्ग के दूसरी ओर निर्मित किया जाने वाला पेट्रोल पंप के लिए यह दूरी 100 मीटर रहेगी, परंतु उसके दायें या बायें स्थापित किए जाने वाले पेट्रोल पंप पर भी 300 मीटर की दूरी का प्रतिबंध लागू होगा। जबकि बिना सेंट्रल वर्ज वाले मार्गों के लिए सामने मार्ग के दूसरी ओर पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु यह दूरी 300 मीटर ही रहेगी।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–

4.6(द) ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र के मानक:–

ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र के मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (3) (चार) के प्रावधान अनुरूप मान्य होगें।

10. **4.6 (ई) छविगृहों के लिए मापदण्ड**

मार्ग की चौड़ाई : छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी।

विराम स्थल : सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी स्थल का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा 150 कुर्सीयों के लिए इनमें जो भी कम है।

आवश्यक क्षेत्र : 2.3 मीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावें।

भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र : भूखण्ड के आकार का अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा।

	सेट बेक : सामने – न्यूनतम 15 मीटर आजू/बाजू –न्यूनतम 4.5 मी./4.5 मीटर पार्श्व – न्यूनतम 4.5 मीटर **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.6 (ई) छविगृहों के लिए मापदण्ड** छविगृहों के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 निमय 53(3)(दो) के अनुरूप होंगे।
11.	**4.6 (फ) होटल हेतु मापदण्ड** 1. भूतल 30 प्रतिशत 2. अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात 1.20 3. अधिकतम ऊचांई 12.5 मीटर 4. अन्य नियंत्रण :– – फर्शी क्षेत्रानुपात 5 प्रतिशत होटल गतिविधि से संबंधित उपयोग में लाया जावें। – तलघर का अधिकतम क्षेत्र भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर होगा। इसका उपयोग वाहन विराम स्थल एवं सेवा के लिए ही किया जावें एवं इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नहीं की जावें। वाहन विराम स्थल 4–सा–17 अनुसार होंगे। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.6 (फ) होटल हेतु मापदण्ड** 1. भूतल 30 प्रतिशत 2. अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात 1.20 3. अन्य नियंत्रण– • तलघर का अधिकतम क्षेत्र भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर होगा। इसका उपयोग वाहन विराम स्थल एवं सेवा के लिए ही किया जावें एवं इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नहीं की जावें। • वाहन विराम हेतु नियम म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधान मान्य होगें।
12.	**4.7 औद्योगिक मानक** **(अ) अभिन्यास मानक** : औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास मानक निम्नानुसार अनुशंसित है – 1. भूखण्ड का क्षेत्र – अधिकतम 65 प्रतिशत 2. मार्गों, वाहन विराम – अधिकतम 25 प्रतिशत एवं खुले स्थान 3. दुकानें एवं अन्य सेवा – न्यूनतम 10 प्रतिशत सुविधायें बुरहानपुर – औद्योगिक क्षेत्र हेतु विकास मापदण्ड सारणी क्रमांक 4–सा–6, 4–सा–7 नोट:– 20,000 श्रमिकों के आकार वाले औद्योगिक संस्थान के विकास हेतु सेवा–सुविधाओं के मापदण्ड निम्न सारणी अनुसार होंगे। औद्योगिक क्षेत्र के उपविभाग में न्यूनतम 2.05 वर्गमीटर प्रति कामगर की दर से सेवा–सुविधाओं हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जावेंगा। औद्योगिक संस्थान के कामगारों का आंकलन प्रति हेक्टर (कुल क्षेत्रफल के लिए) की दर से किया जावेंगा। टीप:– औद्योगिक भूखण्डों का संयुक्तिकरण अथवा उपविभाजन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की पूर्व अनुमति से आवश्यक किया जा सकेगा। बुरहानपुर– औद्योगिक क्षेत्रों में सेवा–सुविधाओं के मापदण्ड सारणी क्रमांक 4–सा–7 **(ब) प्लेटेड फैक्ट्रियां** प्लेटों फैक्ट्रियों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्रानुपात निम्नानुसार होगा :– – अच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत – फर्शी क्षेत्रानुपात 1.20 – न्यूनतम भूखण्ड आकार 1500 वर्गमीटर **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.7 औद्योगिक मानक** (अभिन्यास के मानक): औद्योगिक क्षेत्रों विकास मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 एवं मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई नियम 38 (4)(ख) के प्रावधान अनुरूप मान्य होगी।
13.	**4.8 सामाजिक अधोसंरचना के मानक** बुरहानपुर– सामुदायिक सेवा–सुविधाओं के मापदण्ड सारणी क्रमांक 4–सा–8 एवं 4–सा–9 के प्रावधानान्तर्गत विवरण सहित। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.8 सामाजिक अधोसंरचना के मानक** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अंनुरूप होंगे।

14.	**4.9.5 कार एवं बसो के सड़को पर पार्किंग हेतु मानक** • सारणी क्रमांक 4–सा–15 बुरहानपुर : वाहन विराम मानक **उपरोक्त सारणी को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** 4.9.5 कार एवं बसो के सड़को पर पार्किंग हेतु मानक सारणी क्रमांक 4–सा–15 के स्थान पर वाहन विराम मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधान अंतर्गत परिशिष्ट–झ–1 तथा झ–2 अनुसार मान्य होगें।
15.	**4.14 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** बुरहानपुर विकास योजना 2021 अध्याय–4 विकास नियमन अंतर्गत उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों में अनुमति सारणी–द्वितीयक उपयोग परिक्षेत्रों की अनुमति सारणी–4–सा–17 की टीप तथा (ब) उपयोग परिक्षेत्र में अस्वीकार्य उपयोग व शेष उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकार्य भूमि उपयोग प्रावधानों की विस्तृत विवरणी सहित। **उपरोक्त सारणी 4–सा–17 की टीप को विलोपित कर निम्न टीप को प्रतिस्थापित किया जाना तथा (ब) को विलोपित किया जाता है:–** **4.14 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति** सारणी 4–सा–17 की टीप – कृषि उपयोग के अंतर्गत म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 में परिभाषित भू–उपयोग तथा कब्रिस्तान, श्मशान घाट, जल–मल उपचार संयंत्र, ट्रेंचिंग ग्राउण्ड, ईट भट्टा, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण, स्टोन क्रेशर, वेयर हाउस व गोदाम, गैस गोदाम सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगें।
16.	**4.15 वन आवास** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार यह गतिविधी नियंत्रित होगी। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.15 वन आवास/फार्म हाउस** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 17 के प्रावधानान्तर्गत यह गतिविधि नियंत्रित होगी।
17.	**4.16 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया** – विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/ जानकारी संलग्नित किया जाना आवश्यक होगा। 1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत नियम 17 के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 11. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए। 13. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49(3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें। टीपः–2 भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी नियम मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **4.16 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया** – विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित किया जाना आवश्यक होगा। 1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानो अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन नियम 16 में उल्लेखित आवश्यक जानकारी सहित प्रस्तुत करना होगा। 11. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए। 13. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम धारा 49(4) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें। टीपः–2 भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी नियम मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
18.	4.17 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया – मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 49(3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी – • परिशिष्ट–1(द) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:– 4.17 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया – मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(4) के प्रावधानों के अनुरुप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी – • परिशिष्ट–1(छ) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा नियम 16 के अनुसार दी जाने वाली जानकारी।

19.	मल्टीप्लेक्स – मल्टीप्लेक्स हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान लागू होंगे। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **मल्टीप्लेक्स –** मल्टीप्लेक्स हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 लागू होंगे।
20.	**अध्याय–5** **विकास योजना क्रियान्वयन–** भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है। **उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका को प्रतिस्थापित किया जाता है:–** **अध्याय–5** **विकास योजना क्रियान्वयन–** भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है।

उक्त उपातंरण बुरहानपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-1246.—बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्ष के कालावधि के लिये किया जाता है.

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र.	धारा	उपधारा	नाम सदस्य व पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	13	2(क)	जिला मजिस्ट्रेट सिंगरौली
2	13	2(ख)	1. श्री अशोक सिंह पैगाम, देवसर, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश 2. श्री राजकुमार साकेत ग्राम+पो. पुरैल, तहसील-सरई, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश 3. श्री हरिशंकर शाह, माड़ा, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश
3	13	2(ग)	1. श्री अमर सिंह, (भूतपूर्व विधायक) चितरंगी, सिंगरौली, मध्यप्रदेश 2. श्री मेघनाथ वैश्य, ग्राम-करौंटी, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश
4	13	2(घ)	1. पुलिस अधीक्षक, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली मध्यप्रदेश 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश
5	13	2(ङ)	प्रबंधक, लीड बैंक, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-1246.—बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में निहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति सिंगरौली का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्ष के कालावधि के लिये किया जाता है.

01-उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-सिंगरौली

क्र.	धारा	उपधारा	नाम सदस्य व पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	13	3(क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिंगरौली
2	13	3(ख)	1. श्री बीरबल सिंह आत्मज श्री जीतन सिंह गोंड, ग्राम-मलगो, पो. मकरोहर, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश. 2. श्री राजू साकेत आत्मज श्री केवला साकेत, ग्राम-नगवां, पो. कर्सुआलाल, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश. 3. श्री देवलाल शाह आत्मज श्री बबन प्रसाद शाह ग्राम-बसौड़ा (चांचर) पो.-जरहां, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
3	13	3(ग)	1. श्री सत्येन्द्र शाह (एडवोकेट)-सामाजिक कार्यकर्त्ता 2. श्री त्रिपुरारी नाथ पाण्डेय (एडवोकेट)—सामाजिक कार्यकर्त्ता
4.	13	3(घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैढ़न 2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-बैढ़न 3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बैढ़न
5.	13	3(ङ)	प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक शाखा बैढ़न
6.	13	3(च)	तहसीलदार, तहसील-सिंगरौली

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-1246.—बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में निहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, देवसर का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्ष के कालावधि के लिये किया जाता है.

01-उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-देवसर

क्र.	धारा	उपधारा	नाम सदस्य व पता
(1)	(2)	(3)	(4)
	13	3(क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवसर
1	13	3(ख)	1. श्री केशव सिलंह गोंड निवासी पेड़रा, तहसील-सरई, जिला सिंगरौली 2. श्री रामनाथ प्रजापति पिता वंशधारी प्रजापति. निवासी मजौना, तहसील-देवसर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश. 3. श्रीमती सुखनी देवी, निवासी खोभा, तहसील-देवसर, जिला सिंगरौली.
2	13	3(ग)	1. श्री रामनरेश द्विवेदी, निवासी ग्राम-सहुआर, तहसील-देवसर, 2. श्री समयलाल साकेत, निवासी अकौरी, तहसील-देवसर

(1)	(2)	(3)	(4)
3	13	3(घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, देवसर 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड-देवसर 3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, देवसर
4	13	3(ङ)	प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा-जियावन
5	13	3(च)	तहसीलदार, तहसील-देवसर

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-1246.—बंधक मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में निहित प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति चितरंगी का पुनर्गठन अधिसूचना जारी होने की अवधि से दो वर्षों के कालावधि के लिये किया जाता है.

03-उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-चितरंगी

क्र.	धारा	उपधारा	नाम सदस्य व पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	13	3(क)	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चितरंगी
2	13	3(ख)	1. श्री प्रभात कुमार सिंह गोंड़, ग्राम व पो.-चितरंगी 2. श्री लालपति साकेत, ग्राम व पो.-चितरंगी 3. श्री रामजी गुर्जर ग्राम व पो.-सिलफोरी, चितरंगी, जिला-सिंगरौली मध्यप्रदेश.
3	13	3(ग)	1. श्री राजेश सिंह चौहान-सामाजिक कार्यकर्त्ता, ग्राम-पोंड़ी, पो-लमसरई, तहसील-चितरंगी, जिला-सिंगरौली मध्यप्रदेश. 2. श्री बालेन्द्र चौबे—सामाजिक कार्यकर्त्ता ग्राम-खैड़ार, तहसील-चितरंगी, जिला-सिंगरौली मध्यप्रदेश.
4.	13	3(घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चितरंगी 2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-चितरंगी 3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, चितरंगी
5.	13	3(ङ)	प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक शाखा, चितरंगी
6.	13	3(च)	तहसीलदार, तहसील-चितरंगी

शशांक मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्र. 13-2016.-बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला गुना हेतु मैं, राजेश जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना मध्यप्रदेश बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति गुना/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां गुना परगना, राघौगढ़, चाचौड़ा, आरोन का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूं. पुनर्गठन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा.

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धारा 13(2) क	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, गुना	अध्यक्ष
2	धारा 13(2) ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य	
		(अ) श्रीमती कस्तूरी बाई अ. जा. नि. ग्राम खैरीखता, तह. गुना	सदस्य
		(ब) श्री धनसिंह भगत पिता बूफाजी पटेलिया ग्राम दुर्गापुर सिंहपुर गुना.	सदस्य
		(स) श्री जितेन्द्र बाल्मिक पिता सुरेश बाल्मिक नि. वार्ड क्र. 1, राघौगढ़.	सदस्य
3	धारा 13(2) ग	जिले के सामाजिक कार्यकर्ता	
		(अ) श्री धीराज चक्रवर्ती प्रबंधक, साईंनाथ सेवा सदन समिति नानाखेड़ी, गुना.	सदस्य
		(ब) श्री अरूण चतुर्वेदी पिता गजानन्द चतुर्वेदी शिक्षा प्रचार समिति खेजरा रोड, गुना	सदस्य
4	धारा 13(2) घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य	
		(अ) पुलिस अधीक्षक, गुना	सदस्य
		(ब) मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना	सदस्य
		(स) संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, गुना	सदस्य
5	धारा 13(2) ङ	वित्तीय संस्था के सदस्य	
		प्रबंधक, अग्रणी बैंक, गुना	सदस्य

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति परगना-गुना

क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धारा 13(3) क	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग परगना-गुना	अध्यक्ष
2	धारा 13(3) ख	अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य	
		1. श्रीमति धनकुंवर बाई/लालाराम सहरिया सिंहपुर	सदस्य
		2. रितुराज परिहार निवासी बजरंगगढ़	सदस्य
		3. कमलसिंह पुत्र शिवलाल सेहरिया, निवासी बमौरी	सदस्य
3	धारा 13(3) ग	सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य	
		1. श्रीमति ममता सिंह शिंवागी एजुकेशन सोसायटी, गुना	सदस्य
		2. धर्मेन्द्र सिकरवार निवासी सिसौदिया कालोनी, गुना	सदस्य
4	धारा 13(3) घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित	
		1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गुना	सदस्य
		2. नगर पुलिस अधीक्षक, गुना	सदस्य
		3. तहसीलदार गुना/बमौरी	सदस्य
		4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना/बमौरी	सदस्य
5	धारा 13(3) ङ	वित्तीय संस्था के सदस्य	
		शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, गुना	सदस्य

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति-राघौगढ़

क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धारा 13(3) क	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-राघौगढ़	अध्यक्ष
2	धारा 13(3) ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य	
		1. श्री रामसिंह भील, नि. ग्राम भूकनी	सदस्य
		2. श्री विजय सिंह भील, नि. गादेर	सदस्य
		3. श्री रामभरौसा अहिरवार, नि. सालोटा	सदस्य
3	धारा 13(3) ग	सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य	
		1. श्री रामबाबू कोठारी, नि. राघौगढ़	सदस्य
		2. श्री रमेश चन्द्र दीक्षित	सदस्य
4	धारा 13(3) घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित	
		1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) राघौगढ़	सदस्य
		2. तहसीलदार, राघौगढ़	सदस्य
		3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघौगढ़	सदस्य
5	धारा 13(3) ङ	वित्तीय संस्था का सदस्य	
		शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, राघौगढ़	सदस्य

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति-चाचौड़ा

क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धारा 13(3) क	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-चाचौड़ा	अध्यक्ष
2	धारा 13(3) ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य	
		1. श्रीमति पुष्पाबाई पत्नी बद्री वंशकार, नि. खतोली	सदस्य
		2. श्रीमति दरयाब बाई पत्नी शिवराज भील, नि. तलावली	सदस्य
		3. श्री कल्याण पुत्र जगन्नाथ सहरिया, नि. बरखेड़ाखुर्द	सदस्य
3	धारा 13(3) ग	सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य	
		1. श्री जगदीश कुमार पुत्र रामप्रसाद श्रीवास्तव नि. बरखेड़ाखुर्द	सदस्य
		2. श्री रूपसिंह पुत्र मांगीलाल मीना, नि. रतोधना	सदस्य
4	धारा 13(3) घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित	
		1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चाचौड़ा	सदस्य
		2. तहसीलदार, चाचौड़ा	सदस्य
		3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चाचौड़ा	सदस्य
5	धारा 13(3) ङ	वित्तीय संस्था का सदस्य	
		शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, चाचौड़ा	सदस्य

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति-आरोन

क्र.	धारा	सदस्य का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धारा 13(3) क	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-आरोन	अध्यक्ष
2	धारा 13(3) ख	जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य	
		1. श्री बद्री/मंगलिया	सदस्य
		2. श्री नथनसिंह/परगा	सदस्य
		3. श्रीमति भुरियाबाई/लालाराम	सदस्य
3	धारा 13(3) ग	सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य	
		1. श्री गोविन्द सिंह यादव	सदस्य
		2. श्री राम प्रकाश शर्मा	सदस्य
4	धारा 13(3) घ	राज्य शासन द्वारा नामांकित	
		1. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) आरोन	सदस्य
		2. तहसीलदार, आरोन	सदस्य
		3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरोन	सदस्य
5	धारा 13(3) ङ	वित्तीय संस्था का सदस्य	
		शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, आोरन	सदस्य

राजेश जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

क्र. 8-16.—बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नीमच बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिये बंधक श्रमिक उपखण्ड सतर्कता समितियां निम्नानुसार पुनर्गठित करता हूं :—

जिला स्तरीय बंधक सतर्कता समिति, जिला नीमच

क्र.	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	पद
(1)	(2)	(3)
	धारा 13(2)ए-जिला मजिस्ट्रेट	
1	कलेक्टर, जिला-नीमच	अध्यक्ष
	धारा 13(2) बी-अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य	
2	श्री रतन पिता घीसालाल मालावत, नि. ग्राम बेलारी तह. नीमच	सदस्य
3	श्री मुकेश पिता इंदरमल जटिया नि. जावद	सदस्य
4	श्री महेश पिता नानूराम बजेरिया, नि. ग्राम पालरी तह. मनासा	सदस्य
	धारा 13(2) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य	
5	श्री संतोष पिता ओमप्रकाश पंजाबी नि. भगवानपुरा, नीमच	सदस्य
6	श्री महेश पिता जगदीशचन्द्र न्याती, नि. जावद	सदस्य

(1)	(2)	(3)
	धारा 13(2) डी-ग्रामीण विकास के शास./अशासकीय संस्था के तीन सदस्य	
7	पुलिस अधीक्षक, जिला-नीमच	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच	सदस्य
9	जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, नीमच	सदस्य
	धारा 13(2) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य	
10	प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक नीमच	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, मनासा

क्र.	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	पद
(1)	(2)	(3)
	धारा 13(3)ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट	
1	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनासा	अध्यक्ष
	धारा 13(3) बी-अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य	
2	श्री कालूराम पिता श्री खेमाजी, निवासी ग्राम कंजार्डा, तह. मनासा	सदस्य
3	श्री नानालाल पिता श्री भेरूलाल, नि. ग्राम धाकड़खेड़ी, तह. मनासा	सदस्य
4	श्री हीरालाल पिता गौरीलाल भांभी, ग्राम धरवाड़, तह. मनासा	सदस्य
	धारा 13(3) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य	
5	श्री केशव पिता श्री रामचन्द्र उपाध्याय, नि. अक्षत नगर, मनासा	सदस्य
6	श्री कैलाश पिता श्री जगन्नाथ पाराशर, नि. कंजार्डा, तह. मनासा	सदस्य
	धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास के शास./अशासकीय संस्था के तीन सदस्य	
7	तहसीलदार, मनासा	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनासा	सदस्य
9	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), मनासा	सदस्य
	धारा 13(2) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य	
10	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मनासा	सदस्य
	धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी	
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मनासा	

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, जावद

क्र.	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	पद
(1)	(2)	(3)
	धारा 13(3)ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट	
1	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जावद	अध्यक्ष
	धारा 13(3) बी-अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य	
2	श्री विनोद पिता श्री बाबूलाल, नि. कोज्या तह. जावद	सदस्य
3	श्री बाल किशन पिता श्री गिरधारीलाल, नि. तारापुर, तह. जावद	सदस्य
4	श्री मुकेश पिता श्री ब्रदीलाल, नि. तारापुर, तह. जावद	सदस्य

(1)	(2)	(3)
	धारा 13(3) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य	
5	श्री आयुष पिता राजेन्द्र गोयल नि. जावद	सदस्य
6	श्री आशीष पिता बद्रीलला अग्रवाल नि. जावद	सदस्य
	धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास के शास./अशासकीय संस्था के तीन सदस्य	
7	तहसीलदार, जावद	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जावद	सदस्य
9	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), जावद	सदस्य
	धारा 13(2) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य	
10	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, जावद	सदस्य
	धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी	
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जावद	

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, नीमच

क्र.	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	पद
(1)	(2)	(3)
	धारा 13(3)ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट	
1	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नीमच	अध्यक्ष
	धारा 13(3) बी-अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य	
2	श्री अनिल पिता श्री भागचंद भील, जेसिंगपुरा, तह. नीमच	सदस्य
3	श्री देवचंद पिता श्री बंशीलाल जाटव, नि. जेसिंगपुरा, तह. नीमच	सदस्य
4	श्री यशवंत पिता श्री बालाराम यादव, नि. नीमच	सदस्य
	धारा 13(3) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य	
5	श्री हरिश पिता श्री बाबूलाल मंगल, नूतन स्कूल के पास, नीमच	सदस्य
6	श्री निलेश पिता श्री बंशीलाल पाटीदार, नीमच	सदस्य
	धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास के शास./अशासकीय संस्था के तीन सदस्य	
7	तहसीलदार, नीमच	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नीमच	सदस्य
9	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), नीमच	सदस्य
	धारा 13(2) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य	
10	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, नीमच	सदस्य
	धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी	
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमच	

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–119/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। वनखण्ड देशगांव (I) N21^{0}52'55.2 से N21^{0}53'36.6 उत्तर अक्षांश तथा E76^{0}11'11.5 से E76^{0}12'6.2 पूर्व देशांश, देशगांव (II) N21^{0}53'13.6 से N21^{0}53'27.5 उत्तर अक्षांश तथा E76^{0}12'17.2 से E76^{0}12'40.0 पूर्व देशांश एवं देशगांव (III) N21^{0}52'52.3 से N21^{0}53'29.5 उत्तर अक्षांश तथा E76^{0}10'34.9 से E76^{0}11'0.1 पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – खण्डवा   **तहसील** – खण्डवा

वनमंडल – खण्डवा (सा.)   **वन परिक्षेत्र –** खण्डवा (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्राफल (हेक्टेयर)	
1.	देशगांव (I)	देशगॉव	पहाड चट्टान	1310	16.310	उत्तर– मुनारा क्र. 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व – प्राकृतिक सीमा (नाला) दक्षिण– सीमा मुनारा क्र. 07 से 41 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चिम– मुनारा क्र. 41 से 51 एवं 51 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा
				1328	23.610	
				1330	19.790	
				1341	16.180	
	योग			4	75.890	
2	देशगांव (II)	देशगॉव	पहाड चट्टान	1377	18.440	उत्तर– मुनारा क्र. 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व – मुनारा क्र. 02 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा दक्षिण– मुनारा क्र. 08 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चिम– मुनारा क्र.10 से 17 एवं 17 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा
	योग			1	18.440	
3	देशगांव (III)	देशगॉव	पहाड चट्टान	1134	21.410	उत्तर – मुनारा क्र. 01 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व – मुनारा क्र. 10 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा दक्षिण– मुनारा क्र. 28 से 33 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चिम– मुनारा क्र 33 से 37 एवं 37 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				1142	10.620	
				1148	22.560	
	योग			3	**54.590**	
	महायोग			8	**148.92**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8–205/88 एफ.सी. दिनांक 05.0(1992 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण एवं रेल्वे विभाग की स्वीकृ परियोजना .तलवडिया खिरकिया रेल्वे लाईन के डायवर्सन हेतु में प्रभावित 58.87 हेक्टेये वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 148.92 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 148.9: हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्ट जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 15346 एवं 15348 दिनांक 05.11.1990 हस्तांतरित अथव नामांतरित किये जाने के कारण।

2. **अन्य कारणों का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखि अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं।
2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ–25–119–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–119–2016–दस–3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-119/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between Deshgaon (I) N21^{0}52'55.2" to N21^{0}53'36.6"North Latitude and E76^{0}10'34.9" to E76^{0}12'40" East Longitude, Deshgaon (II) N21^{0}53'13.6" to N21^{0}53'27.5" North Latitude and E76^{0}12'17.2" to E76^{0}12'40.0" East Longitude and Deshgaon (III) N21^{0}52'52.3" to N21^{0}53'29.5" North Latitude and E76^{0}10'34.9" to E76^{0}11'0.1" East Longitude.

SCHEDULE

District - Khandwa
Forest Division: - Khandwa (G)

Tahsil :- Khandwa
Forest Range : - Khandwa (G)

S.N	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Deshgaon (I)	Deshgaon	Pahad chattan	1310	16.310	North- Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 07. East- Nala. South- Artificial Forest boundary from pillar No. 07 to 41. West - Artificial Forest boundary from pillar No. 41 to 51 &51 to 01.
				1328	23.610	
				1330	19.790	
				1341	16.180	
	Totel			4	75.890	
	Deshgaon (II)	Deshgaon	Pahad chattan	1377	18.440	North- Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 02 East- Artificial Forest boundary from pillar No. 02 to 08 South- Artificial Forest boundary from pillar No. 08 to 10 West - Artificial Forest boundary from pillar No. 10 to 17 & 17 to 01.
				1	18.440	
	Deshgaon (III)	Deshgaon	Pahad chattan	1134	21.410	North Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 10 East- Artificial Forest boundary from pillar No. 10 to 28 South- Artificial Forest boundary from pillar No. 28 to 33 West - Artificial Forest boundary from pillar No. 33 to 37 & 37 to 01.
				1142	10.620	
				1148	22.560	
				3	54.590	
	G. Total			**8**	**148.92**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-205/88 FC dated 05.06.1992 and in lieu of 58.87 .hectare of affected forest land under the sanctioned project of Talvadhiya Khirkiya lain dayvartion of Narmda vikas pradikarn & relwey Department the above mentioned Non Forest Land of 148.92 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 15346 & 15348 dated 05.11.1990 of Collector Khandwa .for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report Tahsildar Khandwa are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights – There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ramesh Kumar Shrivastava, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–120/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-23^{0}41'4.20" से N-23^{0}41'31.80" उत्तर अक्षांश तथा E-80^{0}5'18.00" से E-80^{0}5'52.20" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – कटनी **तहसील** – बहोरीबंद

वनमंडल– कटनी **वन परिक्षेत्र** – बहोरीबंद

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	खरगवां	खरगवां	बड़े झाड़ का जंगल	477/2	31.52	उत्तर–संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण–संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम–संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 11 एवं मुनारा क्रमांक 11 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	**31.52**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 8-55/2011-FC दिनांक 21.10.2013 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार अधीक्षण यंत्री (अउदा–निर्माण) वृत्त, मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत परियोजना बैतूल देवास होशंगाबाद एवं सीहोर जिले में 400 के.व्ही. सतपुड़ा (सारणी) से आष्ठा विद्युत लाईन के निर्माण करनें में प्रभावित 105.15 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 31.52 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 44/अ–19/2012–13 दिनांक 11.07.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. **अन्य कारणों का विवरण –** निरंक।

(ख) **उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी** तहसीलदार बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. व्यक्तिगत अधिकार : – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकार : –उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-25-120-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-120-2016-दस-3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-120/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23^{0}41'4.20" to N-23^{0}41'31.80" North Latitude and E-80^{0}5'18.00" to E-80^{0}5'52.20" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Katni Tahsil :- Bahoriband
Forest Division: - Katni Forest Range : - Bahoriband

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Khargawan	Khargawan	Bade Jhad ka Jungle	477/2	31.52	North	Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar no. 01 to 05.
						East-	Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar no. 05 to 07.
						South	Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar no. 07 to 09.
						West	Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar no. 09 to 11 & Pillar no. 11 to 01.
				Total	**31.52**		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests, Govt. of India's order F.No. 8-55/2011-FC dated 21.10.2013 and in lieu of 105.15 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Satpura (TPH) Ashta 400 Kv. DCDS Transmission Line in Favour of Superintending Engineer (AHP) Circle, Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, Bhopal the above mentioned Non Forest Land of 31.52 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order प्र. No 44/A-19/2012-13 dated 11-07-2013 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under.

1. Individual Rights -No Individual Rights on the above land.
2. Community Rights -No Community Rights on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ramesh Kumar Shrivastava, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–121/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-$23^0$44'36.00" से N-$23^0$45'50.50" उत्तर अक्षांश तथा E-$80^0$8'0.80" से E-$80^0$8'50.60" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – कटनी **तहसील** – बहोरीबंद

वनमंडल– कटनी **वन परिक्षेत्र** – बहोरीबंद

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	केवलारी	केवलारी	बड़े झाड़ का जंगल	130/2 130/3 130/4 130/5	16.08 65.14 69.82 4.90	उत्तर–संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक एवं मुनारा क्रमांक 03 से आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 152 के मुनारा क्रमांक 205 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व– आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 152 के मुनारा क्रमांक 205 से आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 153 के मुनारा क्रमांक 193 तक की वनसीमा। दक्षिण–आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 153 के मुनारा क्रमांक 193 से संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 259 के मुनारा 55 से 54 तक की वनसीमा। पश्चिम–संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 259 के मुनारा क्रमांक 54 से आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 232 के मुनारा क्रमांक 44 तक वनसीमा एवं मुनारा क्रमांक 44 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
				योग	**155.94**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

I. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक क्रमशः –

a. 6-MPB 009/2009/BHO/1664 दिनांक 15.10.2012
b. 6-MPB 006/2009/BHO/1683 दिनांक 17.10.2012
c. 6-MPB 010/2009/BHO/1685 दिनांक 17.10.2012
d. 6-MPB 008/2009/BHO/1621 दिनांक 10.12.2012
e. 6-MPB 011/2009/BHO/1660 दिनांक 15.10.2012
f. 6-MPB 012/2009/BHO/1617 दिनांक 11.10.2012
g. 6-MPB 007/2009/BHO/013 दिनांक 07.01.2016

में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास विभाग परियोजना क्रियानवयन इकाई जिला बड़वानी की स्वीकृत परियोजना क्रमशः गुड़ी से लाईझापी मार्ग रकवा 1.44 हे0, पोखल्याफाटा से भानिजकुण्ड मार्ग रकवा 1.26 हे0, चिचवानी से अंबी मार्ग रकवा 1.32 हे0, चोरवीफाटा से बोरकुण्ड रकवा 1.71 हे0, चिचवान्या से देवगढ़ मार्ग रकवा 4.68 हे0, पीपरकुण्डफाटा से शिवानी मार्ग रकवा 4.32 हे0, पोखल्याफाट से हाटबावड़ी मार्ग रकवा 1.35 हे0 कुल 16.08 हे0 वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.08 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 13/अ–59/2009–10 दिनांक 20.10.2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

II. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-77/2007/FC दिनांक 17.01.2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगौन की स्वीकृत परियोजना इन्दिरा सागर परियोजना अंतर्गत नहर के निर्माण करनें में प्रभावित 119.306 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 69.82 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 23/अ–19/2011–12 दिनांक 05.03.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

III. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 8-45/2010-FC दिनांक 18.12.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगौन की स्वीकृत परियोजना खारक जलाशय के निर्माण करनें में प्रभावित 65.14 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.14 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 23/अ–19/2011–12 दिनांक 05.03.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

IV. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB-15/2014-BHO/1092 दिनांक 02.06.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर की स्वीकृत परियोजना अंजनडोह तालाब के निर्माण करनें में प्रभावित 4.90 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.90 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 49/अ–19/2012–13 दिनांक 05.09.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक।

(ख) **उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी** तहसीलदार बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकार : – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकार : –उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016।

क्र. एफ-25-121-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-121-2016-दस-3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-121/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23⁰44'36.00" to N-23⁰45'50.50" North Latitude and E-80⁰8'0.80" to E-80⁰8'50.60" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Katni Tahsil : - Bahoriband
Forest Division: - Katni Forest Range : - Bahoriband

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Kevlari	Kevlari	Bade Jhad ka Jungle	130/2 130/3 130/4 130/5	16.08 65.14 69.82 4.90	North	Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar no. 01 to 03 & Pillar no. 03 to Pillar no. 205 of Reserve Forest Compartment no. 152.
						East-	Forest Boundary from pillar no. 205 of Reserve Forest Compartment no. 152 to Pillar no. 193 of Reserve Forest Compartment no. 153.
						South	Forest Boundary from Pillar no. 193 of Reserve Forest Compartment no. 153 to Pillar no. 55 to 54 of Protected Forest Compartment no. 259.
						West	Forest Boundary from Pillar no. 54 of Protected Forest Compartment no. 259 to Pillar no. 44 of Reserve Forest Compartment no. 232 and Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block Pillar no. 44 to 1.
				Total	**155.94**		

(A) Reason for publication of Notification :-

1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests, Govt. of India's Gradually order's

a. 6-MPB 009/2009/BHO/1664 dated 15-10-2012

b. 6-MPB 006/2009/BHO/1683 dated 17-10-2012
c. 6-MPB 010/2009/BHO/1685 dated 17-10-2012
d. 6-MPB 008/2009/BHO/1621 dated 10-12-2012
e. 6-MPB 011/2009/BHO/1660 dated 15-10-2012
f. 6-MPB 012/2009/BHO/1617 dated 11-10-2012
g. 6-MPB 007/2009/BHO/013 dated 07-01-2016

and in lieu of total 16.08 hectare of affected forest land under the sanctioned Gradually project of Gudi to Laijhapi Road Area 1.44 he., Pokhalyaphata to Bhanijkund Road Area. 1.26 he., Cichvani to Ambi Road Area 1.32 he., Chorvifhata to Borekund Road Area 1.71 he., Cichvanya to Devgarh Road Area 4.68 he., Piparkundfhata to Shivani Road Area 4.32 he., Pokhalyafhata to Hatbabri Road Area 1.35 he. Total 16.08 in Favour of General manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Project Implementation Unit Badwani District the above mentioned Non Forest Land of 16.08 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order प्र. No 13/A-59/2009-10 dated 20.10.2010 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

II. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests, Govt. of India's order 8-77/2007-FC dated 17.01.2011 and in lieu of 119.306 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Indra Sagar Canal in Favour of Executive engineer Narmada canal development division Khargone the above mentioned Non Forest Land of 69.82 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order प्र. No 23/A-19/2011-12 dated 05.03.2012 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

III. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests, Govt. of India's order F.No. 8-45/2010-FC dated 18.12.2013 and in lieu of 65.14 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kharak Tank in Favour of Executive engineer Water Resources Division, Khargone the above mentioned Non Forest Land of 65.14 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order प्र. No 23/A-19/2011-12 dated 05.03.2012 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

IV. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests, Govt. of India's order 6-MPB-15/2014-BHO/1092 dated 02.06.2014 and in lieu of 4.90 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Anjandoh Tank in Favour of Executive engineer Water Resources Division, Burhanpur the above mentioned Non Forest Land of 4.90 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order प्र. No 49/A-19/2012-13 dated 05.09.2013 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under.

1. Individual Rights -No Individual Rights on the above land.
2. Community Rights -No Community Rights on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ramesh Kumar Shrivastava, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–122/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°59'55" से N 22°00'13" उत्तर अक्षांश तथा E 79°58'41" से E 79°58'58" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – बालाघाट तहसील – लालबर्रा
वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.) वन परिक्षेत्र – लालबर्रा (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	कोवागढ	कोवागढ	बडे झाड का जंगल ,	56/.2	16.087	उत्तर – संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 751 के मुनारा क्रमांक 43 से 45 तक की वन सीमा। पूर्व – संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 751 के मुनारा क्रमांक 45 से कक्ष क्रमांक 752 के मुनारा क्रमांक 13 तक की वन सीमा । दक्षिण – संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 752 के मुनारा क्रमांक 13 से कक्ष क्रमांक 751 के मुनारा क्रमांक 40 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम – संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 751 के मुनारा क्रमांक 40 से 43 तक की वन सीमा।
				योग	16.087	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/82-FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक–2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.087 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /125/अ–59/90–91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. **अन्य कारणों का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016।

क्र. एफ-25-122-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-122-2016-दस-3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-122/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N $21^0$59'55" to N $22^0$00'13" North Latitude and E $79^0$58'41" to E $79^0$58'58" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Balaghat
Forest Division: - South Balaghat (Territorial)
Tahsil : - Lalburra
Forest Range : - Lalburra (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Kowagarh	Kowagarh	Bade Jhad ka jungle	56/2	16.087	**North-** Forest Boundary From Pilla no. 43 to 45 of Compartment No. 751 o Protected forest Block. **East-** Forest Boundary From Pillar nc 45 of Compartment No. 751 to Pilla No. 13 of Compartment No. 752 o Protected forest Block. **South-** Artificial Forest Boundar From Pillar no. 13 of Compartment Nc 752 to Pillar No. 40 of Compartmen No. 751 of Protected forest Block. **West -** Forest Boundary From Pilla no. 40 to Pillar No. 43 of Compartmen No. 751 of Protected forest Block.
				Total	**16.087**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 16.087 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./125/अ-59/90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra – District Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ramesh Kumar Shrivastava, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–125/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21^{0}54'52.5" से N 21^{0}55'19.5" उत्तर अक्षांश तथा E 80^{0}10'55" से E 80^{0}11'35" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – बालाघाट | तहसील – बालाघाट

वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.) | वन परिक्षेत्र – बालाघाट (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	धापेवाड़ा	धापेवाड़ा	छोटे झाड का जंगल, घास	45/4	16.252	उत्तर– संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक पी–821 की दक्षिणी–पूर्वी वन सीमा एवं मुनारा क्रमांक 8 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
				48/3	18.170	पूर्व – मुनारा क्रमांक 9 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण – मुनारा क्रमांक 14 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	34.422	पश्चिम – मुनारा क्रमांक 20 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक–2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 34.422 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /141/अ–59/90–91 दिनांक 06.02.1992 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. **अन्य कारणों का विवरण –** निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बालाघाट, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-25-125-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-125-2016-दस-3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-125/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N $21^0 54'52.5''$ to N $21^0 55'19.5''$ North Latitude and E $80^0 10'55''$ to E $80^0 11'35''$ East Longitude.

SCHEDULE

District :- Balaghat **Tahsil** :- Balaghat
Forest Division:- South Balaghat (Territorial) **Forest Range** :- Balaghat (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1.	Dhapewada	Dhapewada	Chhote jhad ka jungle, Ghans	45/4 48/3	16.252 18.170	North-	Southern - Eastern Forest Boundary of Compartment no. 821 of Protected Forest Block and Artificial Forest Boundary of Pillar No. 08 to 09 of forest Block.
						East-	Pillar No. 9 to 14 Artificial forest boundary.
						South-	Pillar No. 14 to 20 Artificial forest boundary.
				Total	34.422	West -	Pillar No. 20 to 29 Artificial forest boundary.

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 34.422 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./141/अ-59/90-91 dated 06.02.1992 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Balaghat – District Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ramesh Kumar Shrivastava, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–127/2016/10.–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड **N- 25⁰40'10.287"** से **N- 25⁰41'05.525"** उत्तर अक्षांश तथा **E- 77⁰01'50.426"** से **E- 77⁰02'50.130"** पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – श्योपुर
वनमंडल – सामान्य वनमंडल, श्योपुर

तहसील – कराहल
वन परिक्षेत्र – कराहल

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
01	बरगंवा	बरगंवा प.ह.न. 94	जंगल गैर मुमकिन	213	8.310	उत्तर– मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वनसीमा ।
				214	8.613	पूर्व – मुनारा क्रमांक 02 से 16 तक कृत्रिम वनसीमा ।
				215	6.721	
				222	7.693	
				223	7.273	दक्षिण– मुनारा क्रमांक 16 से 19 तक कृत्रिम वनसीमा ।
				224	7.567	
				225	3.711	
				226	4.244	पश्चिम – मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 21, मुनारा क्रमांक 21 से वनखण्ड गढ़ला की पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक 11 तक, वनखण्ड गढ़ला के मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 7 तक, गढ़ला वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वनसीमा ।
				227	3.638	
				228	0.585	
				229	4.411	
				230	6.605	
				232	7.525	
				233	7.525	
				234	12.364	
				235	17.820	
				236	13.587	
				योग	**128.192**	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : –

1. निल
2. **अन्य कारणों का विवरण** – वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विभिन्न परियोजनाओं के विरूद्ध प्रभावित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने बावत् सामान्य वनमंडल श्योपुर के अंतर्गत भूमि बैंक की स्थापना हेतु कलेक्टर मुरैना के आदेश क्रमांक 93 दिनांक 31.03.1993 के द्वारा ग्राम बरगंवा तहसील कराहल में राजस्व विभाग से वनविभाग को हस्तांतरित गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किये जाने बावत् ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार कराहल (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक/रीडर/2016/106 दिनांक 18.01.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकार: – निरंक

2. सामुदायिक अधिकार: – निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-25-127-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-127-2016-दस-3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-127/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between **N- 25^{0}40'10.287"** to **N- 25^{0}41'05.525"** North Latitude and **E- 77^{0}01'50.426"** to **E- 77^{0}02'50.130"** East Longitude.

SCHEDULE

District : - Sheopur
Forest Division: - Sheopur
Tahsil : - Karahal
Forest Range : - Karahal

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
01	Baragwa	Baragwa P.H.No. 94	Jangal Gair Mumkin	213 214 215 222 223 224	8.310 8.613 6.721 7.693 7.273 7.567	**North-** Artificial forest boundary from pillar no. 01 to 02. **East-** Artificial forest boundary from pillar no. 02 to 16 **South-** Artificial Forest boundary from pillar no. 16 to 19

				225 226 227 228 229 230 232 233 234 235 236	3.711 4.244 3.638 0.585 4.411 6.605 7.525 7.525 12.364 17.820 13.587	**West** - Artificial forest boundary from pillar no. 19 to 21, 21 to Garhla forest block Eastern boundary pillar no.11, Garhla forest block Eastern boundary pillar no. 11 to .07 and pillar no. 07 of Garhla forest block to pillar no. 1 Artificial forest boundary.
				Total	**128.192**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. **Nil**
2. Details of other Reasons- Received Non-forest land by revenue department in village Baragwa Tahsil Karahal 128.192 hac. by Collector Distt. Morena Order number 93 dated 31.03.1993 fore establishment of land Bank, Purpose at compensatory afforestations against Under F.C.A. 1980 in projects effected forest land Received Non-forest land to declares Protected Forest in Indian Forest Act 1927 Section 29.

3. (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No./रीडर/2016/106 dated **18.01.2016** of **Tahsildar, Karahal** (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Ramesh Kumar Shrivastava, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–128/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्र016/योग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22^0 5'56.75 से 22^0 5'56.76 उत्तर

अक्षांश तथा 76^{0}28'52.33 से 76^{0}28'29.05 पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – खण्डवा **तहसील** – पुनासा
वनमंडल – खण्डवा (सा.) **वन परिक्षेत्र** – मुंदी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्राफल (हेक्टेयर)	
1.	गोंडखेडा	गोंडखेडा	निजी भूमि	55/3	0.54	**उत्तर**– आरक्षित वन कक्ष क्र. 79 के मुनारा क्र. 72/1 से 72/2 तक की कृत्रिम वन सीमा। **पूर्व** – प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क. 72/2 से 72/4 तक की कृत्रिम वन सीमा। **दक्षिण**– मुनारा क. 72/4 से 72/ 5 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	**0.54**	**पश्चिम**– मुनारा क. 72/5 एवं 72/1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6–एम.पी.बी 050/2010–बी एच ओ/2302 दिनांक 15.12.2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 नर्मदा नगर खण्डवा की स्वीकृत परियोजना भूमिगत पाईप लाईन बिंछाने हेतु में प्रभावित 0.54 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.54 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.54 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खण्डवा के आदेश क्रमांक 7/अ/59/2009–2010 (2010–2011) दिनांक 01.11.2010 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. **अन्य कारणों का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पुनासा के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. व्यक्तिगत अधिकारः –उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं।

2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-25-128-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-128-2016-दस-3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-128/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22⁰ 5'56.75" to 22⁰ 5'56.76" North Latitude and 76⁰ 28'52.33" to 76⁰ 28'29.05" East Longitude.

SCHEDULE

District : -Khandwa **Tahsil : -. Punasa**
Forest Division: -.Khandwa (G) **Forest Range : - Mundi (G)**

S. N	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Gondkheda	Gondkheda	Private land	55/3	0.54	**North-** Reserve Forest compartment No 79 Forest boundary from Pillar No. 72/1 to 72/2 **East-** Proposed Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 72/2 to 72/04 **South-** Artificial Forest boundary from Pillar No. 72/04 to 72/5 **West -** Artificial Forest boundary from Pillar No. 72/05 and 72/1
				Total	**0.54**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest. Govt. of India's order No 6MPB 050/2010-BHO/2302 dated 15-12-2011. and in lieu of 0.54 hectare of affected forest land under the sanctioned project of under Ground Pipe line of .Executive Engineer Narmda Development Division No. 25 Narmda Nagar Distt. Khandwa the above mentioned Non Forest Land of 0.54 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 7/A/59/2009-2010(2010-2011) dated 01-11-2010 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

   (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report Tahsildar Punasa are as under.

   1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
   2. Community Rights – There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–132/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21^{0}53'55" से N 21^{0}54'17" उत्तर अक्षांश तथा E 80^{0}10'2.5" से E 80^{0}10'28" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – बालाघाट
वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.)

तहसील – लालबर्रा
वन परिक्षेत्र – वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	धपेरा	धपेरा	बडे झाड का जंगल	90	21.071	उत्तर – मुनारा क्रमांक 24 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व – मुनारा क्रमांक 29 से 30 और 30 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण – मुनारा क्रमांक 1 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम – मुनारा क्रमांक 16 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	21.071	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक–2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.071 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति

वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /120/अ–59/90–91 दिनांक 06.02.1992 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. **अन्य कारणों का विवरण –** निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ–25–132–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–132–2016–दस–3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-132/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chaptęr IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N $21^0$53'55" to N $21^0$54'17" North Latitude and E $80^0$10'2.5" to E $80^0$10'28" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Balaghat **Tahsil** :- Lalburra
Forest Division:- South Balaghat (Territorial) **Forest Range** :- Waraseoni (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Dhapera	Dhapera	Bade Jhad ka jungle	90	21.071	North- Pillar No. 24 to 29 Artificial forest boundary East- Pillar No. 29 to 30 and 30 to 1 Artificial forest boundary South- Pillar No. 1 to 16 Artificial forest boundary West - Pillar No. 16 to 24 Artificial forest boundary
				Total	**21.071**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 21.071 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /120/अ–59/90–91 dated 06.02.1992 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

   (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra – District Balaghat are as under.

   1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
   2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–134/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N $21^0 54'8.5"$ से N $21^0 54'37.5"$ उत्तर अक्षांश तथा E $80^0 7'53"$ से E $80^0 8'28.5"$ पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – बालाघाट | तहसील – लालबर्रा
वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.) | वन परिक्षेत्र – वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	मोहगांव (अ)	मोहगांव	बडे झाड का जंगल	485	31.514	उत्तर – मुनारा क्रमांक 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व – मुनारा क्रमांक 13 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण – मुनारा क्रमांक 15 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम – मुनारा क्रमांक 31 से 38 और 38 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	31.514	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक–2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 31.514 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /134/अ–59/90–91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. **अन्य कारणों का विवरण –** निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ–25–134–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–134–2016–दस–3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-134/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N $21^0$54'8.5" to N $21^0$54'37.5" North Latitude and E $80^0$7'53" to E $80^0$8'28.5" East Longitude.

SCHEDULE

District :- Balaghat **Tahsil** :- Lalburra
Forest Division: - South Balaghat (Territorial) **Forest Range** : - Waraseoni (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Mohgaon(A)	Mohgaon	Bade Jhad ka jungle	485	31.514	**North-** Pillar No. 01 to 13 Artificial forest boundary **East-** Pillar No. 13 to 15 Artificial forest boundary **South-** Pillar No. 15 to 31 Artificial forest boundary **West -** Pillar No. 31 to 38 and 38 to 01 Artificial forest boundary
				Total	**31.514**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 31.514 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /134/अ–59/90–91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra – District Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–135/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21^{0}54'10.5" से N 21^{0}54'35" उत्तर अक्षांश तथा E 80^{0}8'27" से E 80^{0}8'39.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – बालाघाट | तहसील – लालबर्रा
वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.) | वन परिक्षेत्र – वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	मोहगांव (ब)	मोहगांव	छोटे,बडे झाड का जंगल	492	10.368	उत्तर – मुनारा क्रमांक 03 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व – मुनारा क्रमांक 07 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण – मुनारा क्रमांक 15 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम – मुनारा क्रमांक 19 से 23, 23 से 01 और 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	10.368	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक–2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.368 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /134/अ–59/90–91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. **अन्य कारणों का विवरण** – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ–25–135–2016–दस–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–135–2016–दस–3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-135/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N $21^0$54'10.5" to N $21^0$54'35" North Latitude and E $80^0$8'27" to E $80^0$8'39.5" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Balaghat **Tahsil** : - Lalburra

Forest Division: - South Balaghat (Territorial) **Forest Range** : - Waraseoni (Territorial)

S. N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Mohgaon(B)	Mohgaon	Chhote, Bade Jhad ka jungle	492	10.368	**North-** Pillar No. 03 to 07 Artificial forest boundary **East-** Pillar No. 07 to 15 Artificial forest boundary **South-** Pillar No. 15 to 19 Artificial forest boundary **West -** Pillar No. 19 to 23, 23 to 01 and 01 to 03 Artificial forest boundary
				Total	**10.368**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 10.368 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. / 134 / अ–59 / 90–91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra – District Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–136 / 2016 / 10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°54'5.5" से N 21°54'32" उत्तर अक्षांश तथा E 80°8'36" से E 80°9'1" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

<u>अनुसूची</u>

जिला – बालाघाट
वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.)

तहसील – लालबर्रा
वन परिक्षेत्र – वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	मोहगांव (स)	मोहगांव	छोटे झाड का जंगल, घास एवं बडे झाड का जंगल	510	13.703	उत्तर – मुनारा क्रमांक 07 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				511	14.103	पूर्व – मुनारा क्रमांक 18 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
						दक्षिण – मुनारा क्रमांक 25 से 42 और 42 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	27.806	पश्चिम – मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक–2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 27.806 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /134/अ–59/90–91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-25-136-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-136-2016-दस-3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-136/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21^{0}54'5.5" to N 21^{0}54'32" North Latitude and E 80^{0}8'36" to E 80^{0}9'1" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Balaghat **Tahsil** : - Lalburra
Forest Division: - South Balaghat (Territorial) **Forest Range** : - Waraseoni (Territorial)

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Mohgaon(C)	Mohgaon	Chhote Jhad ka jungle, Ghans and Bade Jhad ka jungle	510 511	13.703 14.103	North- Pillar No. 07 to 18 Artificial forest boundary East- Pillar No. 18 to 25 Artificial forest boundary South- Pillar No. 25 to 42 and 42 to 01 Artificial forest boundary West - Pillar No.01 to 07 Artificial forest boundary
				Total	**27.806**	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No 8-478/82-FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi) project, Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P., the above mentioned Non Forest Land of 27.806 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /134/अ–59/90–91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra – District Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ–25–137/2016/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम,1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हये, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें,के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखंड N 23°23'9.095 से N 23°23'13.934 उत्तर अक्षांश व E77° 32' 42.924 से E77°32'50.069 पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला– भोपाल
वनमंडल– भोपाल

तहसील– हुजूर
वनपरिक्षेत्र– समर्धा

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	बालमपुर	ग्राम बालमपुर	चरखोर निस्तार (राजस्व भूमि)	452/2/2 में से	3.560	**उत्तर –संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।**
						पूर्व – संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
						दक्षिण – संरक्षित वनकक्ष PF-163 के मुनारा क्रमांक 38/2 से 38/1 तक एवं संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की संयुक्त वन सीमा।
				योग	**3.560**	**पश्चिम – संरक्षित वनकक्ष PF-163 के मुनारा क्रमांक 38/1 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।**

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक **8-497/89-FC** दिनांक 28.08.1990 की भोपाल जिले में 400 के. व्ही. भोपाल बीना विद्युत लाईन निर्माणार्थ में प्रभावित 3.560 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 3.560 हेक्टेयर गैर–वनभूमि (राजस्व भूमि) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अवर सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–16–55/ 2010/सात/2ए दिनांक 29.10.2010 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर निरंक अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

1. व्यतिगत अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :– उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः **उक्त भूमि को भारतीय** वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-25-137-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-137-2016-दस-3, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd October 2016

No. F-25-137/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927,(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies in between N23°23'9.095" to N23°23'13.934" North Latitude and E77° 32' 42.924" to E77°32'50.069" East Longitude.

SCHEDULE

District :-Bhopal
Forest Division:-Bhopal

Tahsil :-Huzur
Forest Range:- Samardha

S.N.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Balampur	Balampur	Charkhor Nistar (Revenue Land)	452/2/2 में से	3.560	North - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block.
						East - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 03 of Protected Forest Block.
						South - Pillar No. 38/2 of Forest Block to Pillar No. 38/1 of PF-163 and Joint Forest Boundary from Pillar No. 03 to 04 of Protected Forest Block.
				Total	**3.560**	West - Pillar No. 38/1 of Forest Block of PF-163 to Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 01 of Protected Forest Block.

(A) Reason for publication of Notification:-

1- In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No 8-497/89-FC dated 28.08.1990 and in lieu of 3.560 hectare of affected forest land under the sanctioned Construction of 400 K.V. Bhopal Beena Electricity Transmission Line, the above mentioned Non Forest Land of 3.560 hectare (Revenue Land) transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by Letter No. F-16-55/2010/ lkr /2A dated 29.10.2010 of Under Secretary, M.P. Government, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Bhopal for the purpose of compensatory a forestation is to be declared as protected forest.

2- Details of other Reasons - Nil.

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land are us under :-

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights:- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्रमांक/एफ–15–17/2016/10–2 :: भारतीय वन अधिनियम–1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम–2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम–03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है।

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर)	सीमायें
1.	रायसेन	पश्चिम रायसेन सामान्य	ईको पर्यटन विकास केन्द्र खरबई	आरक्षित वन– 336, 337, 338, 335, 538	818.66	**पूर्व**–वन खण्ड सेहतगंज के मुनारा क्रमांक–30 से 50 के बीच की कृत्रिम सीमा **पश्चिम**–वन खण्ड सेहतगंज के मुनारा क्रमांक–10 से गीदगढ़ ग्राम तक कृत्रिम सीमा **उत्तर**–वन खण्ड गोपीसुर एवं संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी0–24 की संयुक्त सीमा **दक्षिण**– रायसेन–भोपाल मुख्य मार्ग एवं कक्ष क्रमांक आर0 एफ0 – 337 की दक्षिणी सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-17-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-17-2016-दस-2, दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th October 2016

No./F-15-17/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-**section 3 (1)** of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Raisen	West Raisen (T)	Ecotourism Development Centre Kharbai	RF- 336, 337, 338, 335, 538	818.66	**East-** The artificial boundary line between boundary pillar no. 30 to 50 of Forest Block Sehatganj **West-** Artificial boundary line between pillar no. 10 of Forest Block Sehatganj to the boundary of village Geedhgad **North-** Combined boundary of Forest Block Gopisur and Compartment no. P-24 **South-** Raisen-Bhopal road and southern boundary of Forest Compartment RF 337

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्रमांक/एफ–15–19/2016/10–2 :: भारतीय वन अधिनियम–1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम–2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम–03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर)	सीमायें
1.	दक्षिण छिन्दवाड़ा	अम्बाड़ा सामान्य	आलमदेव सुल्तानपेठ	आरक्षित वन—1863, 1865, 1869, 1870, 1871, 1876	1575.190	**पूर्व**— कक्ष क्रमांक 1876, 1871 व 1870 की पूर्वी सीमा। **पश्चिम**— कक्ष क्रमांक 1869 व 1865 की पश्चिमी सीमा। **उत्तर**— कन्हान नदी **दक्षिण**— कक्ष क्रमांक 1865, 1869, 1870 की दक्षिणी सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-19-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-19-2016-दस-3, दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th October 2016

No./F-15-19/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hectares)	Boundaries
1.	South Chhindwara	Ambada (T)	Alamdev Sultanpet	RF 1863, 1865, 1869, 1870, 1871, 1876	1575.190	**East-** Eastern boundary of Compartment no. 1876, 1871 and 1870 **West-** Western boundary of Compartment no. 1869 and 1865 **North-** Kanhaan River **South-** Southern boundary of Compartment no. 1865, 1869 and 1870

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

कमांक/एफ–15–21/2016/10–2 :: भारतीय वन अधिनियम–1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम–2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम–03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है।

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर)	सीमायें
1.	दक्षिण बैतूल सामान्य	भैंसदेही सामान्य	ईकोपर्यटन केन्द्र कुकरू	आरक्षित वन– 775, 776, 777, 778	1001	**पूर्व**–वन कक्ष क्र. 775 व 778 की पूर्वी सीमा **पश्चिम**–वन कक्ष क्र. 776 की पश्चिमी सीमा **उत्तर**–वन कक्ष क्र. 776, 777,778 की उत्तरी सीमा **दक्षिण**– वन कक्ष क्र. 775, 776, 777 की दक्षिणी सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-21-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-21-2016-दस-2, दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th October 2016

No./F-15-21/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-**section 3 (1)** of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	South Betul (T)	Bhainsdehi (T)	Ecotourism Centre Kukru	RF- 775, 776, 777, 778	1001	**East-** Eastern boundary of Compartment no. 775 and 778 **West-**Western boundary of Compartment no. 776 **North-** Northern boundary of Compartment no.776, 777,778 **South-**Southern boundary of Compartment no.775, 776,777

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

कमांक/एफ–15–22/2016/10–2 :: भारतीय वन अधिनियम–1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम–2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम–03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है।

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर)	सीमायें
1.	उत्तर बैतूल सामान्य	रानीपुर सामान्य	छोटा महादेव मंदिर भोपाली	आरक्षित वन 503, 506	400	**पूर्व**–कक्ष क्र. 503 व 506 की पूर्वी सीमा **पश्चिम**–आमला वन परिक्षेत्र की सीमा **उत्तर**– कक्ष क्र. 506 की उत्तरी सीमा **दक्षिण**– कक्ष क्र. 503 की दक्षिणी सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-22-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-15-2016-दस-2, दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th October 2016

No./F-15-22/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	North Betul (T)	Ranipur (T)	Chota Mahadev Mandir Bhopali	RF- 503,506	400	**East**- Eastern boundary of Compartment no. 503 and 506 **West**- Boundary of Amla Forest Range **North**- Northern boundary of Compartment no. 506 **South**- Southern boundary of Compartment no. RF-503

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्रमांक/एफ–15–23/2016/10–2 :: भारतीय वन अधिनियम–1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम–2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम–03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर)	सीमायें
1.	दक्षिण सिवनी सामान्य	कान्हीवाड़ा	अमोदागढ़	आरक्षित वन–63	155.92	**पूर्व**– कक्ष क्र. 63 की पूर्वी सीमा **पश्चिम**– आर.एफ.सीमा मुनारा क्रमांक–01 से 09 तक। **उत्तर**– बागनाला **दक्षिण**– हिर्री नदी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-23-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-23-2016-दस-2, दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th October 2016

No./F-15-23/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	S.Seoni (T)	Kanhiwada T.	Amodagarh	RF-63	155.92	**East-** Eastern Boundary of Compartment no. 63 **West-RF** Boundary pillar no. 01 to 09 **North-** Bagnala **South-** Hirri river

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक/एफ–15–18/2016/10–2 :: भारतीय वन अधिनियम–1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम–2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम–03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर)	सीमायें
1.	खरगोन	बिस्टान	दानाकुण्डी	आरक्षित वन–611	50.00	**पूर्व–** कक्ष क्रमांक 612 एवं 610 की पश्चिम सीमाएं। **पश्चिम–** कक्ष क्रमांक 611 की कृत्रिम सीमा। **उत्तर–** कक्ष क्रमांक 616 की दक्षिणी सीमा। **दक्षिण–** कक्ष क्रमांक 611 की कृत्रिम सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-18-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-18-2016-दस-2, दिनांक 25 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th October 2016

No./F-15-18/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hectares)	Boundaries
1	Khargaon	Bistaan	Danakundi	RF- 611	50.00	**East-** Western boundary of Compartment no. 612 and 610 **West-** Artificial boundary of Compartment no. 611 **North-** Southern boundary of Compartment no. 616 **South-** Artificial boundary of Compartment no. 611

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

कमांक / एफ–15–24 / 2016 / 10–2 :: भारतीय वन अधिनियम–1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम–2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम–03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है।

अनुसूची

कमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष कमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर)	सीमायें
1	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	मोरावन पश्चिम	आमेट का किला	आरक्षित वन–620	02.00	**पूर्व**–कक्ष क्रमांक 620 **पश्चिम**– राजस्व ग्राम आमेट की पूर्वी सीमा रेखा **उत्तर**–कक्ष क्रमांक 618 की दक्षिणी सीमा **दक्षिण**– कक्ष क्रमांक 620
2	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	मोरावन पश्चिम	देव खौ	आरक्षित वन–544	02.00	**पूर्व**– कक्ष क्रमांक 544 **पश्चिम**–कक्ष क्रमांक 545 की पूर्वी सीमा **उत्तर**– कक्ष क्रमांक 544 **दक्षिण**– कक्ष क्रमांक 544
3	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	मोरावन पश्चिम	आमझिर	आरक्षित वन–617	02.00	**पूर्व**– कक्ष क्रमांक 617 **पश्चिम**–कक्षक्रमांक 617 **उत्तर**– कक्ष क्रमांक 617 **दक्षिण**– कक्ष क्रमांक 617
4	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	मोरावन पश्चिम	भंवर खौ	आरक्षित वन–534, 533	02.00	**पूर्व**–कक्ष क्रमांक 533 एवं 534 **पश्चिम**–कक्ष क्रमांक 533 एवं 534 **उत्तर**–कक्ष क्रमांक 533 **दक्षिण**– कक्ष क्रमांक 534
5	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	मोरावन पश्चिम	मराठा खौ	आरक्षित वन–642	02.00	**पूर्व**–प्रकोष्ठ क्र..पी–94 की पश्चिमी सीमा रेखा **पश्चिम**– कक्ष क्रमांक 642 **उत्तर**– कक्ष क्रमांक 642 **दक्षिण**– कक्ष क्रमांक 642
6	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	सिरौनी दक्षिण	डोब कुण्डा	आरक्षित वन–655	02.00	**पूर्व**–कक्ष 648 की पश्चिमी सीमा रेखा **पश्चिम**– कक्ष क्रमांक 655 **उत्तर**– कक्ष क्रमांक 656 की दक्षिणी सीमा रेखा **दक्षिण**– कक्ष क्रमांक 655

7	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	सिरौनी दक्षिण	जैन मंदिर	आरक्षित वन–648	02.00	पूर्व– कक्ष क्रमांक 648 पश्चिम– कक्ष क्रमांक 648 उत्तर– कक्ष क्रमांक 656 की दक्षिणी सीमा रेखा दक्षिण– कक्ष क्रमांक 648
8	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	अगरा पूर्व	रणसिंह बाबा का मंदिर	आरक्षित वन–1033	04.00	पूर्व– कक्ष क्रमांक 1033 पश्चिम– कक्ष क्रमांक 1033 उत्तर– कक्ष क्रमांक 1033 दक्षिण– कक्ष क्रमांक 1033
9	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	सिरौनी उत्तर	नटनी खौ	आरक्षित वन–729	50.00	पूर्व–कक्ष क्रमांक 729 पश्चिम– कक्ष क्रमांक 730 की पूर्वी सीमा रेखा उत्तर– कक्ष क्रमांक 729 दक्षिण–कक्ष क्रमांक 726 की उत्तरी सीमा रेखा
10	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर	मोरावन पूर्व	दौलतपुरा	आरक्षित वन–560	06.00	पूर्व– कक्ष क्रमांक 560 पश्चिम– कूनो नदी उत्तर– वन कक्ष क्रमांक 560 दक्षिण–राजस्व ग्राम किशनपुरा की उत्तरी सीमा रेखा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-15-24-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-24-2016-दस-2, दिनांक 25 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th October 2016

No./F-15-24/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

Sr. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hectares)	Boundaries
1	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Moravan (W)	Ameth ka kila	RF- 620	02.00	**East-** Compartment no. 620 **West-** Eastern boundary line of revenue village Ameth **North-** Southern boundary line of Compartment no. 618 **South-** Compartment no. 620

2.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Moravan (W)	Devkho	RF 544	02.00	**East-** Compartment no. 544 **West-** Eastern boundary line of Compartment no. 545 **North-** Compartment no. 544 **South-** Compartment no. 544
3.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Moravan (W)	Aamjheer	RF 617	02.00	**East-** Compartment no. 617 **West-** Compartment no. 617 **North-** Compartment no. 617 **South-** Compartment no. 617
4.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Moravan (W)	Bhawarkho	RF 534, 533	02.00	**East-** Compartment no. 533 and 534 **West-** Compartment no. 533 and 534 **North-** Compartment no. 533 **South-** Compartment no. 534
5.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Moravan (W)	Maratha Kho	RF 642	02.00	**East-** Western boundary line of Compartment no. P-94 **West-** Compartment no. 642 **North-** Compartment no. 642 **South-** Compartment no. 642
6.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Sirouni (S)	Dob kunda	RF 655	02.00	**East-**Western boundary line of Compartment no. 648 **West-** Compartment no. 655 **North-** Southern boundary line of Compartment no. 656 **South-** Compartment no. 655
7.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Sirouni (S)	Jain Mandir	RF 648	02.00	**East-** Compartment no. 648 **West-** Compartment no. 648 **North-** Southern boundary line of Compartment no. 656 **South-** Compartment no. 648
8.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Agra (E)	Rannsingh baba ka Mandir	RF- 1033	04.00	**East-**Compartment no. 1033 **West-** Compartment no. 1033 **North-** Compartment no. 1033 **South-** Compartment no. 1033
9.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Sirouni (N)	Natnikho	RF- 729	50.00	**East-** Compartment no. 729 **West-** Eastern boundary line of Compartment no. 730 **North-** Compartment no. 729 **South-** Northern boundary line of Compartment no. 726
10.	Kuno Wildlife Division, Sheopur	Moravan (E)	Daulatpura	RF- 560	06.00	**East-** Compartment no. 560 **West-** Kuno river **North-** Compartment no. 560 **South-** Northern boundary line of revenue village of Kishanpura

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. -भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	घाट बम्होरी	0.78	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग सागर, म. प्र.	बांदकपुर- बलारपुर वनमार्ग मार्ग पर व्यारमा नदी पर उच्च स्तरीय पुल.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तेंन्दूखेड़ा (दमोह) तथा कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय मे देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्र. -भू-अर्जन-2015-16-प्र. क्र. 08 अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	कुण्डलपुर, पडरी सहजपुर, कुवंरपुर, कोटा, बमनपुरा, हरदुआ, पहाडी, हरदुआघाट, कुडई, फतेहपुर, सिंगपुर, बिलगुवां, नादिया, बर्रट, पथरिया, पटेरा, (नगर) हरदुआघाट, राजाबंदी पालाअर्जुनी.	0.53 निजी भूमि 5.11 शासकीय भूमि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड दमोह.	ब्यारमा समूह जल प्रदाय योजना हेतु जेक निर्माण तथा जेक वेल तक पहुंच मार्ग जलशोधन संयंत्र एम. बी. आर. ओव्हर हैण्ड टैंक तथा भू-स्तरीय टंकी हेतु भूमि अधिग्रहण बावत्.

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. 506-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.-2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	खम्हरिया	0.335	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1 रीवा (म. प्र.).	सिजहटा-हिनौती-मलगांव-अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 507-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.-2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	टेढ़गवां	0.040	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1 रीवा (म. प्र.).	सिजहटा-हिनौती-मलगांव-अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 508-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.-2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	कोरिगवां	0.140	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1 रीवा (म. प्र.).	सिजहटा-हिनौती-मलगांव-अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्र. 514-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.-2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	रजरवार	4.305	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1 रीवा (म. प्र.).	सिजहटा-हिनौती-मलगांव-अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 5-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि किशनपुरा तालाब डूब क्षेत्र/बांध योजना के भराव क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्स्वाहा	पाली	1.000	भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	किशनपुरा तालाब/बांध योजना के भराव क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि किशनपुरा तालाब डूब क्षेत्र/बांध योजना के भराव क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्स्वाहा	गोरा	8.000	भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	किशनपुरा तालाब/बांध योजना के भराव क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि किशनपुरा तालाब डूब क्षेत्र/बांध योजना के भराव क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्स्वाहा	जामुन झिरी	2.000	भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	किशनपुरा तालाब/बांध योजना के भराव क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-2016-17-4723.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	बिजहा	0.626	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17-4724.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	भमरहा प्रथम	3.088	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-2016-17-4725.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः ''भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	आखेटपुर	3.598	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-2016-17-4726.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः ''भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	बिजहा	52.486	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-2016-17-4727.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः ''भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	खडहुली	19.266	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	समधिन जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-2016-17-478.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: ''भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	खडहुली	4.362	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	समधिन जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 07-अ-82-2016-17-4657.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: ''भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	नोढिया	8.408	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	समधिन जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

प्र. क्र.3-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अर्न्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	बाबई	बागरा मानागांव	1.087	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद.	बागरातवा स्टेशन से सोनतलाई स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बागरातवा स्टेशन से सोनतलाई स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 5 सितम्बर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र.-27-अ-82-2015-16-4042.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	भर्री	2.319	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2, शहडोल, म. प्र.	रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 06-अ-82-वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी/शासकीय खाता)

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—सेमरा पटटी माल, सेमरा रैयत
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.20 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(निजी भूमि)	
18 में से	0.05
19 में से	0.05
23 में से	0.13
24 में से	0.13
166 में से	0.02
190 में से	0.02
(शासकीय भूमि)	
64 में से	11.37
65 में से	4.87
6 में से	6.73
7 में से	0.42
25/1 में से	0.09
189 में से	0.14
211 में से	0.18
योग . .	24.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सेमा जलाशय एवं नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—सगौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
838 में से	0.31
834 में से	0.19
योग . .	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सगौनी जलाशय में बांध एवं नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—कुसमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.44 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
115/1 में से	0.12
117/1 में से	0.16
120/1 में से	0.08
120/2 में से	0.08
योग . .	0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नईबंदी जलाशय में बांध के डाउन स्टीम में रोड निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा
(ग) नगर/ग्राम—कुसमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
359/1 में से	0.02
359/2 में से	0.03
359/4 में से	0.01
359/5 में से	0.02
योग . .	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कुसमी जलाशय के नहर क्षेत्र निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(निजी खाता)

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पटेरा

(ग) नगर/ग्राम—कुम्हारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.06 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
962/3 में से	0.06
योग . .	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खोबा जलाशय में नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र. 6048-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—नौगवा धीर सिंह

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 12.490 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)
280/1/1	0.080	–
280/1/2	0.080	–
280/3/1	0.122	–
280/3/2	0.004	–
280/3/3	0.004	–
280/3/4	0.004	–
280/3/5	0.004	–
280/3/6	0.004	–
280/3/7	0.008	–
280/3/8	0.010	–
280/3/9	0.040	–
191/1	0.030	–
284/1/1	0.050	–
284/1/ख/1	0.200	–
286	0.040	–
284/1/ख/3	0.080	–
284/1/ख/2	0.080	–
284/1/ख/4	0.080	–
284/1/ख/5	0.080	–
288/1	0.002	–
289/1	0.110	–
296	0.100	–
295/4	0.050	–
291	0.060	–
292/1क	0.020	–
162/1/1	1.590	–
311	0.030	–
147	0.050	–
127/1	0.034	–
131/मि/-1	0.194	–
293	0.024	–
155/2	0.004	–
155/3	0.004	–
155/मि-1	0.352	–
154	0.022	–
159/मि-2	0.050	–
159/2/3	0.004	–
159/2/2	0.004	–
159/4	0.030	–
159/2	0.020	–
157	0.010	–
149/1	0.210	–
148	0.030	–
146/1	0.700	–
125/1/4	0.020	–
125/1/5	0.020	–

(1)	(2)	(3)
125/1/6	0.020	–
125/1/7	0.020	–
125/1/8	0.020	–
125/1/9	0.020	–
125/1/10	0.020	–
125/1/11	0.020	–
125/1/12	0.020	–
131/2	0.004	–
131/3	0.004	–
131/4	0.004	–
131/5	0.004	–
131/6	0.004	–
131/7	0.004	–
131/8	0.004	–
131/9	0.004	–
131/10	0.004	–
131/11	0.004	–
131/12	0.004	–
131/13	0.004	–
131/14	0.004	–
131/15	0.004	–
108	0.025	–
130	0.130	–
106/678/1	0.194	–
110/1/1	0.010	–
110/1/2	0.190	–
110/1/3	0.200	–
110/1/4	0.200	–
67/1/2/मि.	0.496	–
67/1/2/2	0.080	–
67/1/2/3	0.080	–
67/1/2/4	0.080	–
67/1/2/5	0.040	–
67/1/2/6	0.040	–
67/1/2/7	0.060	–
67/1/2/8	0.004	–
67/1/2/9	0.004	–
67/1/2/10	0.004	–
67/1/2/11	0.004	–
67/1/2/12	0.004	–
67/1/2/13	0.004	–
67/1/2/14	0.010	–
67/1/2/15	0.010	–
67/1/2/16	0.004	–
67/1/2/17	0.004	–
67/1/2/18	0.004	–
67/1/2/19	0.004	–
67/1/2/20	0.004	–
67/1/2/21	0.004	–
67/1/2/22	0.004	–
67/1/2/23	0.004	–
67/1/2/24	0.008	–
67/1/2/25	0.010	–
67/1/2/26	0.008	–
67/1/2/27	0.004	–
67/1/2/28	0.010	–
67/1/2/29	0.010	–
67/1/2/30	0.010	–
67/1/2/31	0.016	–
67/1/2/32	0.016	–
67/1/2/33	0.010	–
67/1/2/34	0.010	–
67/1/2/35	0.040	–
67/1/2/36	0.004	–
67/1/2/37	0.004	–
67/1/2/38	0.004	–
67/1/2/39	0.004	–
67/1/2/40	0.004	–
67/1/3	0.080	–
67/1/4	0.080	–
67/1/5	0.080	–
67/1/6	0.080	–
67/1/7	0.004	–
67/1/8	0.010	–
67/1/9	0.010	–
67/1/10	0.010	–
67/1/11	0.004	–
67/1/12	0.004	–
67/1/13	0.010	–
67/1/14	0.010	–
67/1/15	0.004	–
67/1/16	0.004	–
67/1/17	0.004	–
67/1/20	0.004	–
67/1/21	0.004	–
67/1/22	0.010	–
67/1/23	0.004	–
67/1/24	0.004	–

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
67/1/25	0.010	–	132/7	0.002	–
67/मि–1	0.172	–	133/7	0.026	–
111/1/2	0.350	–	109/9	0.004	–
113/3	0.050	–	132/8	0.002	–
66/2/2	0.010	–	133/8	0.026	–
66/2/3	0.010	–	109/10	0.004	–
66/मि–2	0.020	–	132/9	0.002	–
66/3	0.004	–	133/9	0.026	–
66/4	0.004	–	109/11	0.004	–
66/5	0.004	–	132/10	0.002	–
66/6	0.004	–	133/10	0.026	–
66/7	0.008	–	109/12	0.004	–
66/8	0.008	–	132/11	0.002	–
66/10	0.004	–	133/11	0.026	–
66/9	0.004	–	109/13	0.004	–
66/11	0.008	–	132/12	0.002	–
66/12	0.004	–	133/12	0.026	–
66/13	0.004	–	109/14	0.004	–
66/14	0.004	–	132/13	0.002	–
66/15	0.006	–	133/13	0.026	–
66/16	0.006	–	109/15	0.004	–
66/17	0.004	–	132/14	0.002	–
66/मि–1	0.084	–	109/16	0.004	–
68/1/1	0.080	–	132/15	0.002	–
61	0.072	–	133/15	0.026	–
63	0.264	–	109/17	0.004	–
68/1/2	0.100	–	132/16	0.002	–
64/1	0.185	–	133/16	0.026	–
64/2	0.008	–	109/18	0.004	–
112	0.410	–	132/17	0.002	–
109/3	0.004	–	133/17	0.026	–
133/2	0.026	–	109/19	0.004	–
109/4	0.004	–	132/18	0.002	–
132/3	0.002	–	133/18	0.026	–
109/5	0.004	–	109/20	0.004	–
132/4	0.002	–	132/19	0.002	–
133/4	0.026	–	133/19	0.026	–
109/6	0.004	–	109/21	0.004	–
132/5	0.002	–	132/20	0.002	–
133/5	0.026	–	133/20	0.026	–
109/7	0.004	–	109/22	0.004	–
132/6	0.002	–	132/21	0.002	–
133/6	0.026	–	133/21	0.026	–
109/8	0.004	–	109/23	0.004	–

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
132/22	0.002	–	132/37	0.002	–
133/22	0.026	–	133/35	0.004	–
109/24	0.004	–	109/44	0.002	–
132/23	0.002	–	132/38	0.002	–
133/23	0.026	–	133/36	0.004	–
109/25	0.004	–	109/45	0.002	–
132/24	0.002	–	132/39	0.002	–
133/24	0.026	–	133/37	0.004	–
109/26	0.004	–	109/46	0.002	–
132/25	0.002	–	132/40	0.002	–
133/25	0.026	–	133/38	0.004	–
109/27	0.004	–	109/47	0.002	–
132/26	0.002	–	132/41	0.002	–
133/26	0.026	–	133/39	0.004	–
109/28	0.004	–	109/48	0.002	–
132/27	0.002	–	133/41	0.004	–
133/27	0.026	–	109/49	0.002	–
109/29	0.004	–	132/43	0.002	–
132/28	0.002	–	133/42	0.004	–
133/28	0.026	–	109/50	0.004	–
109/30	0.004	–	132/44	0.002	–
132/29	0.002	–	133/43	0.028	–
133/29	0.026	–	109/51	0.002	–
109/31	0.004	–	133/44	0.006	–
132/30	0.002	–	109/52	0.002	–
133/30	0.026	–	133/45	0.006	–
109/32	0.004	–	109/53	0.002	–
132/31	0.002	–	133/46	0.006	–
133/31	0.026	–	109/54	0.002	–
109/33	0.004	–	133/47	0.006	–
109/34	0.004	–	109/55	0.002	–
109/35	0.004	–	133/48	0.006	–
109/36	0.004	–	109/56	0.001	–
109/37	0.004	–	133/49	0.003	–
109/38	0.004	–	109/57	0.001	–
109/39	0.004	–	133/50	0.003	–
109/40	0.004	–	109/58	0.004	–
109/41	0.002	–	133/51	0.028	–
132/35	0.002	–	109/59	0.001	–
133/33	0.004	–	133/52	0.003	–
109/42	0.002	–	109/60	0.001	–
132/36	0.002	–	133/53	0.003	–
133/34	0.004	–	109/61	0.001	–
109/43	0.002	–	133/54	0.003	–

(1)	(2)	(3)
109/62	0.001	-
133/55	0.003	-
109/63	0.002	-
133/56	0.002	-
109/64	0.001	-
133/57	0.003	-
109/65	0.002	-
133/58	0.006	-
109/66	0.002	-
133/59	0.006	-
109/67	0.002	-
133/60	0.006	-
109/68	0.007	-
109/69	0.006	-
109/70	0.006	-
109/71	0.006	-
109/72	0.005	-
109/73	0.006	-
109/74	0.002	-
133/65	0.002	-
109/75	0.002	-
132/47	0.002	-
133/66	0.006	-
109/76	0.010	-
132/49	0.010	-
109/77	0.002	-
133/68	0.002	-
109/78	0.002	-
109/79	0.020	-
109/80	0.002	-
133/78	0.002	-
109/81	0.004	-
109/82	0.004	-
109/83	0.020	-
132/51	0.020	-
133/79	0.235	-
109/1	0.221	-
132/32	0.002	-
133/32	0.002	-
132/33	0.010	-
132/34	0.004	-
132/42	0.002	-
133/40	0.002	-
132/45	0.004	-
132/46	0.004	-
132/48	0.004	-
132/50	0.004	-
133/61	0.032	-
133/62	0.004	-
133/63	0.004	-
133/64	0.004	-
133/67	0.020	-
133/69	0.004	-
133/70	0.012	-
133/71	0.028	-
133/72	0.028	-
133/73	0.028	-
133/74	0.028	-
133/75	0.028	-
133/76	0.012	-
133/77	0.028	-
133/79	0.004	-
133/1	1.060	-
111/1/1	0.020	-
योग . .	12.490	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6052-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—अमरवाह

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 4.140 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	का रकबा (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)
781	0.040	-
810	0.100	-
816/2	0.040	-
816/3	0.040	-
817/1	0.050	-
817/2	0.040	-
818/1	0.025	-
818/2	0.025	-
818/3	0.025	-
818/4	0.025	-
820/3	0.025	-
820/5	0.025	-
820/6	0.025	-
820/मि-1	0.025	-
821/1	0.050	-
821/2	0.050	-
821/3	0.050	-
821/4	0.050	-
822/2	0.260	-
834/1	0.010	-
834/2	0.010	-
834/3	0.010	-
980	0.110	-
1107/मि-1	0.030	-
981	0.160	-
982	0.190	-
983	0.300	-
984/2	0.090	-
986	0.140	-
987	0.570	-
988	0.030	-
1098	0.070	-
1100	0.040	-
1103	0.660	-
1104	0.085	-
1101/3	0.050	-
1105	0.405	-
1107/2	0.020	-
1107/3	0.020	-
1108	0.060	-
1109/2	0.070	-
1109/4	0.010	-
1109/3	0.030	-
योग . .	4.140	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6050-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—कुर्वाह

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 10.656 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	का रकबा (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)
127	0.400	-
132/मि-2	0.170	-
132/3	0.180	-
132/4	0.180	-
132/5	0.200	-
132/6	0.070	-
133/मि-3	0.270	-
134/4	0.170	-
133/5	0.180	-
133/6	0.180	-
134/2	0.170	-
156/मि-1	0.256	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
156/1/2	0.032	–	180/2/3	0.080	–
156/1/3	0.032	–	180/2/4	0.030	–
156/1/4	0.032	–	180/2/5	0.030	–
156/1/5	0.004	–	180/2/6	0.040	–
156/1/6	0.004	–	180/2/7	0.020	–
156/2/मि–1	0.030	–	180/2/8	0.020	–
156/2/2	0.040	–	180/2/9	0.040	–
156/2/3	0.040	–	180/2/10	0.010	–
156/2/4	0.040	–	180/2/11	0.010	–
156/2/5	0.030	–	180/2/12	0.010	–
156/2/6	0.030	–	180/2/13	0.010	–
156/2/7	0.030	–	180/2/14	0.010	–
156/2/8	0.020	–	180/2/15	0.030	–
156/2/9	0.020	–	180/2/16	0.020	–
156/2/10	0.020	–	180/2/मि–1	0.030	–
156/2/11	0.020	–	180/3/1	0.370	–
156/2/12	0.020	–	180/3/2	0.040	–
156/2/13	0.020	–	180/3/3	0.040	–
157/1	0.030	–	180/3/4	0.040	–
157/2	0.030	–	180/4/2	0.040	–
158	0.030	–	180/4/3	0.040	–
161/2	0.010	–	180/4/4	0.040	–
161/3	0.010	–	180/4/5	0.010	–
161/4	0.010	–	180/4/6	0.010	–
161/5	0.010	–	180/4/7	0.010	–
161/6	0.020	–	180/4/8	0.010	–
161/7	0.020	–	180/4/9	0.010	–
161/8	0.032	–	180/4/10	0.010	–
161/9	0.032	–	180/4/11	0.004	–
161/10	0.032	–	180/4/12	0.004	–
162/1	0.070	–	180/4/13	0.004	–
162/2	0.070	–	180/4/14	0.010	–
162/3	0.070	–	180/4/15	0.004	–
162/4	0.060	–	180/4/16	0.004	–
162/5	0.060	–	180/4/17	0.004	–
162/6	0.060	–	180/4/18	0.004	–
162/7	0.060	–	180/4/19	0.004	–
180/1	0.100	–	180/4/20	0.004	–
180/2/2	0.080	–	180/4/21	0.004	–

(1)	(2)	(3)
180/4/22	0.004	–
180/4/23	0.004	–
180/4/24	0.004	–
180/4/25	0.004	–
180/4/26	0.004	–
180/4/27	0.004	–
180/4/28	0.004	–
180/4/29	0.004	–
180/4/30	0.004	–
180/4/31	0.004	–
180/4/32	0.004	–
180/4/33	0.004	–
180/4/34	0.004	–
180/4/35	0.004	–
180/4/36	0.004	–
180/4/37	0.004	–
180/4/38	0.004	–
180/4/39	0.004	–
180/4/40	0.004	–
180/4/41	0.004	–
180/4/42	0.004	–
180/4/43	0.010	–
180/4/44	0.004	–
180/4/45	0.004	–
180/4/46	0.004	–
180/4/47	0.004	–
180/4/48	0.004	–
180/4/49	0.004	–
180/4/50	0.004	–
180/4/51	0.004	–
180/4/मि–1	0.104	–
180/5	0.120	–
180/6	0.054	–
180/6/2	0.032	–
180/6/3	0.032	–
180/6/4	0.020	–
180/6/5	0.020	–
180/6/6	0.020	–
180/6/7	0.020	–
180/6/8	0.004	–
180/6/9	0.004	–
180/6/10	0.004	–
180/6/11	0.004	–
180/7	0.060	–
180/8	0.070	–
180/9	0.050	–
180/10	0.050	–
180/11	0.060	–
180/12	0.020	–
180/13	0.030	–
180/14	0.020	–
180/15	0.020	–
180/16	0.020	–
180/17	0.020	–
180/18	0.020	–
201	1.226	–
202	0.240	–
214	1.030	–
211/5	0.270	–
205/2	0.200	–
211/6	0.160	–
210/1	0.030	–
211/1	0.160	–
210/2	0.030	–
211/2	0.490	–
210/3	0.030	–
211/3	0.480	–
210/4	0.030	–
211/4	0.200	–
212	0.040	–
213	0.140	–
कुल योग . .	10.656	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6056-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—नौढ़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 5.824 हे.

खसरा नम्बर	का रकवा (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)
666/1/1	0.036	–
666/1/2/2	0.022	–
666/2/1	0.050	–
666/1/2	0.048	–
666/4/2	0.022	–
666/4/3	0.022	–
666/5/1	0.024	–
666/5/2	0.014	–
666/5/3	0.014	–
666/5/4	0.014	–
669/1/1	0.022	–
669/1/2	0.050	–
669/1/3	0.050	–
669/1/4	0.042	–
669/1/5/2	0.040	–
669/3/क	0.030	–
669/3/ख	0.030	–
669/4	0.026	–
669/5/2	0.028	–
669/6	0.011	–
669/7	0.022	–
669/8	0.028	–
670/1	0.008	–
670/1/1	0.025	–
670/1/2	0.022	–
670/1/2/1	0.017	–
(1)	(2)	(3)
670/1/3	0.028	–
670/1/4	0.028	–
670/1/5	0.022	–
670/1/6	0.022	–
670/1/7	0.022	–
670/1/8	0.014	–
670/1/9	0.014	–
670/1/10	0.008	–
670/1/11	0.044	–
670/1/12	0.033	–
670/1/13	0.022	–
670/1/14	0.022	–
670/1/15	0.022	–
670/1/16	0.023	–
670/1/17	0.010	–
670/1/18/1	0.005	–
670/1/18/2	0.005	–
670/1/19	0.017	–
670/1/20	0.017	–
670/1/21	0.009	–
670/1/22	0.009	–
670/1/23	0.011	–
670/1/24	0.011	–
670/2/2/1	0.011	–
670/2/2/2	0.011	–
670/2/3	0.018	–
670/2/1	0.009	–
670/3/1	0.006	–
670/3/2	0.025	–
670/3/3	0.006	–
670/3/4	0.006	–
670/3/5	0.006	–
670/4	0.028	–
670/5/2	0.008	–
670/5/3	0.022	–
670/5/4	0.022	–
670/5/5	0.041	–
670/5/6	0.022	–
670/5/1	0.076	–
670/6/2	0.040	–
670/6/3	0.022	–
670/6/4	0.022	–

(1)	(2)	(3)
670/6/5	0.022	–
670/6/6	0.022	–
670/6/1	0.029	–
670/7	0.014	–
670/7/2	0.022	–
670/7/3	0.011	–
670/7/4	0.008	–
671/1/1	0.008	–
671/1/2	0.008	–
671/1/3	0.016	–
671/1/4	0.016	–
671/2	0.030	–
671/3	0.061	–
671/3/क	0.011	–
671/3/ग	0.015	–
671/3/घ	0.055	–
671/3/ङ	0.020	–
671/3/च	0.068	–
671/3/च/2	0.011	–
671/3/छ	0.020	–
671/3/ज	0.003	–
671/3/ज/2	0.016	–
671/3/झ/2	0.022	–
671/3/झ/3	0.022	–
671/3/झ/4	0.022	–
671/3/ञ	0.019	–
672/1/1	0.011	–
672/1/2	0.020	–
672/1/3	0.011	–
672/2	0.023	–
672/3/1	0.030	–
672/3/2	0.030	–
673/1/2/3	0.012	–
673/1/2/4	0.011	–
673/1/ख/2	0.015	–
673/1/ख/4	0.009	–
673/1/ख/5	0.005	–
673/1/ख/6	0.005	–
673/1/ख/7	0.005	–
736/8	0.022	–
673/2/2	0.004	–
673/3	0.022	–
673/1	0.044	–
673/6	0.017	–
677/1	0.020	–
678/1/2	0.022	–
678/3	0.029	–
678/4	0.029	–
678/5	0.029	–
679/1	0.125	–
679/2	0.041	–
681	0.135	–
705/2/1	0.004	–
705/2/2	0.040	–
712/1/3/2	0.011	–
712/2	0.020	–
714/2/2/3	0.060	–
714/1	0.070	–
715	0.200	–
716/2	0.080	–
716/3	0.080	–
716/4	0.080	–
717	0.020	–
718/5	0.020	–
718/6	0.020	–
718/7	0.010	–
718/9	0.010	–
718/13	0.010	–
719	0.040	–
720	0.120	–
721/1/2	0.016	–
721/2	0.019	–
721/3	0.035	–
722/1/ख	0.017	–
722/1/क/1	0.036	–
722/1/क/2	0.016	–
722/2	0.020	–
724/4/1	0.001	–
724/2/2	0.069	–
724/4/2	0.025	–
724/4/3	0.025	–
724/4/4	0.011	–
724/3/1	0.091	–
724/3/2	0.091	–

(1)	(2)	(3)
724/3/3	0.091	–
725/1/1	0.036	–
725/1/2	0.030	–
725/2	0.026	–
725/2/1	0.015	–
725/3/1	0.004	–
725/3/2	0.012	–
725/3/3	0.050	–
726	0.004	–
727/3	0.050	–
835	0.040	–
838/1/2/2	0.004	–
838/1/2/3	0.030	–
838/1/2/4	0.030	–
838/1/2/5	0.022	–
838/1/2/6	0.022	–
838/1/2/7	0.022	–
838/1/2/8	0.004	–
838/1/2/9	0.022	–
838/1/2/10	0.022	–
838/1/2/11	0.022	–
838/1/2/12	0.005	–
838/1/2/13	0.022	–
838/1/2/14	0.022	–
838/1/2/15	0.022	–
838/1/2/16	0.011	–
838/1/2/17	0.004	–
838/1/2/18	0.004	–
838/1/2/19	0.004	–
838/1/2/20	0.011	–
838/1/2/21	0.004	–
838/1/2/22	0.004	–
838/1/2/1	0.100	–
838/1/ख	0.020	–
838/1/ग	0.033	–
838/2/1 838/2/1/1 838/2/2	0.110	–
839/1/3	0.050	–
839/2/1/5	0.040	–
840/1/1	0.140	–
840/1/2/1	0.052	–
840/1/2/2	0.022	–
840/1/2/3	0.022	–
840/1/2/4	0.022	–
840/1/2/5	0.022	–
840/1/3	0.160	–
840/1/4	0.160	–
योग . .	5.824	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपतबनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6046-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—जमोड़ीकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.932 हे.

खसरा नम्बर	का रकवा (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)
2	0.082	–
4/मि-1	0.010	–
8/1/3	0.040	–
8/1/4	0.040	–
8/1/5	0.040	–
14/1/1	0.155	–
14/1/2	0.160	–
14/1/3	0.055	–
23	0.200	–
24/मि-1	0.060	–

(1)	(2)	(3)
24/मि-2	0.060	-
24/मि-3	0.030	-
कुल योग . .	0.932	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6044-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—जमोड़ीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 9.851 हे.

खसरा नम्बर	का रकवा (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)
39/1	0.377	-
41/1/2	0.020	-
41/1/5/1	0.010	-
41/1/5/2	0.010	-
42/2/1	0.120	-
42/2/2	0.040	-
43	0.020	-
45	0.190	-
62/1	0.010	-
69	0.020	-
70	0.049	-
71	0.140	-
72	0.012	-
74	0.036	-
76	0.210	-
78	0.005	-
160/1/3	0.026	-
162/1/1	0.150	-
162/1/2	0.205	-
162/1/2/2	0.040	-
162/1/2/3	0.040	-
162/1/2/4	0.004	-
162/1/2/5	0.004	-
162/1/3/2	0.146	-
162/1/3/3	0.008	-
162/1/3/4	0.004	-
162/1/3/5	0.004	-
162/1/4/1	0.121	-
162/1/4/2	0.100	-
162/1/4/3	0.008	-
162/1/4/4	0.008	-
162/1/4/5	0.008	-
162/1/4/6	0.008	-
162/1/6	0.040	-
162/1/7	0.040	-
162/1/8	0.040	-
162/1/9	0.040	-
162/1/11	0.015	-
162/1/12	0.040	-
162/1/13	0.040	-
162/1/14	0.008	-
162/1/मि-3	0.093	-
162/2	0.980	-
190	0.400	-
255	0.650	-
256	0.057	-
257	0.053	-
258/1	0.048	-
258/2	0.048	-
258/3	0.048	-
258/4	0.010	-
259	0.061	-

(1)	(2)	(3)
260	0.061	–
261	0.061	–
262/1	0.020	–
262/2	0.016	–
262/3	0.016	–
263	0.045	–
265/1	0.004	–
265/2	0.008	–
266/1	0.008	–
266/2	0.085	–
269/1	0.010	–
269/2	0.020	–
270	0.089	–
271	0.247	–
272/1	0.008	–
272/2	0.020	–
273	0.024	–
274	0.247	–
275/1	0.047	–
275/2	0.045	–
275/3	0.047	–
275/4	0.045	–
275/5	0.046	–
275/6	0.017	–
276	0.028	–
277	0.024	–
278	0.243	–
279	0.409	–
280/1	0.048	–
280/2	1.000	–
281	0.057	–
282	1.040	–
283	0.065	–
284	0.454	–
285	0.057	–
291/1	0.023	–
291/2	0.134	–
291/3	0.134	–
292	0.010	–
294/1	0.015	–
294/2	0.010	–
कुल योग . .	9.851	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6054-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—मधुरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी रकबा 16.825 हे.

खसरा नम्बर	का रकवा (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)
88	0.140	–
89/1/क	0.120	–
89/1/ख	0.120	–
89/1/ग	0.020	–
89/1/घ	0.020	–
89/मि-2	0.800	–
93	0.055	–
94/466	0.190	–
102/1/ख/2	0.011	–
102/3/2	0.015	–

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
102/3/3	0.015	–	158/2/7/4	0.009	–
102/3/4	0.015	–	158/2/7/5	0.008	–
102/3/5	0.015	–	158/2/मि–6	0.055	–
102/3/6	0.020	–	160/1/3	0.004	–
102/3/7	0.020	–	160/1/4	0.004	–
102/3/मि–2	0.021	–	160/1/5	0.004	–
102/मि–2	0.037	–	160/1/6	0.004	–
102/मि–4	0.122	–	160/1/मि–2	0.005	–
156/1/ख/2	0.003	–	160/2/2	0.008	–
156/1/ख/3	0.004	–	160/2/3	0.008	–
156/2	0.001	–	160/2/4	0.008	–
157/1/2	0.011	–	160/2/5	0.008	–
157/1/3	0.002	–	160/2/6	0.008	–
157/1/क	0.013	–	160/मि–2	0.028	–
157/2	0.027	–	160/2/ख/2	0.041	–
158/1/ख/2	0.022	–	160/2/ख/3	0.020	–
158/1/ख/मि–1	0.050	–	160/2/ख/4	0.020	–
158/2/3	0.002	–	160/2/मि–1	0.010	–
158/2/4	0.002	–	161/1/1	0.046	–
158/2/5	0.011	–	161/1/2	0.029	–
158/2/6/2	0.004	–	161/1/3	0.132	–
158/2/6/3	0.004	–	161/1/4	0.010	–
158/2/6/4	0.004	–	161/1/5	0.008	–
158/2/6/5	0.004	–	161/1/6	0.008	–
158/2/6/7	0.004	–	161/1/7	0.004	–
158/2/6/8	0.004	–	161/1/8	0.005	–
158/2/6/9	0.004	–	161/1/9	0.008	–
158/2/6/10	0.004	–	161/1/10	0.008	–
158/2/6/11	0.004	–	161/1/11	0.008	–
158/2/6/12	0.004	–	161/1/12	0.008	–
158/2/6/13	0.005	–	161/1/13	0.008	–
158/2/7	0.033	–	161/1/14	0.020	–
158/2/7/2	0.004	–	161/3	0.340	–
158/2/7/3	0.004	–	161/4	0.012	–

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
161/5	0.012	–	165/1/2	0.002	–
161/6	0.014	–	165/1/3	0.002	–
161/7	0.017	–	165/1/4	0.001	–
161/8	0.015	–	165/1/5	0.001	–
161/मि–2	0.032	–	165/1/6	0.002	–
162/2	0.004	–	165/1/7	0.002	–
162/3	0.004	–	165/1/8	0.003	–
162/4	0.004	–	165/1/9	0.003	–
162/5	0.004	–	165/1/10	0.007	–
162/6	0.004	–	165/2	0.005	–
162/7	0.004	–	178/1/मि–4	0.065	–
162/8	0.004	–	179/1	0.016	–
162/9	0.004	–	179/2	0.016	–
162/10	0.050	–	179/3	0.023	–
162/11	0.050	–	179/4	0.022	–
162/मि–1	0.313	–	179/5	0.022	–
163	0.057	–	179/6	0.014	–
164/1	0.100	–	179/7	0.014	–
164/2	0.116	–	179/8	0.013	–
164/2/1	0.116	–	179/9	0.013	–
164/3/1	0.010	–	179/10	0.013	–
164/3/2	0.010	–	180/1	0.320	–
164/3/3	0.010	–	180/2	0.008	–
164/3/4	0.010	–	180/3	0.008	–
164/3क	0.040	–	180/4	0.004	–
164/3ख	0.040	–	181	0.016	–
164/3ग	0.040	–	183/1/2	0.010	–
164/3घ/मि–1	0.020	–	183/1/3	0.010	–
164/3घ/मि–2	0.053	–	183/1/4	0.010	–
164/3घ/मि–3	0.040	–	183/1/5	0.008	–
164/3ड/मि–1	0.065	–	183/1/6	0.012	–
164/3ड/मि–2	0.040	–	183/1/मि–1	0.011	–
164/3/छ	0.040	–	183/2/4	0.001	–
165/1/1	0.002	–	183/2/4/1	0.011	–

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
183/2/क	0.011	–	193/मि–1	0.894	–
183/2/ख	0.011	–	194	0.030	–
183/2/ग	0.011	–	195	0.290	–
183/3	0.004	–	196	0.100	–
183/4	0.006	–	227/1/2	0.011	–
183/5	0.045	–	227/1/3	0.011	–
183/6	0.045	–	227/1/4	0.014	–
183/7	0.045	–	227/1/5	0.013	–
183/472/3/1	0.011	–	227/1/6	0.009	–
183/472/3/2	0.011	–	227/1/7	0.010	–
183/472/5/1	0.018	–	227/1/मि–1	0.048	–
183/472/5/2	0.017	–	227/2	0.020	–
183/472/6	0.013	–	229/1	0.022	–
183/472मि–1	0.016	–	229/1/5	0.019	–
183/472मि–2	0.016	–	229/1/6	0.008	–
183/472मि–4	0.009	–	229/2	0.044	–
184/2	0.032	–	229/4/2	0.028	–
184/3	0.032	–	229/4/1	0.016	–
184/4	0.011	–	229/5	0.033	–
184/5	0.022	–	229/6	0.022	–
184/6	0.015	–	229/7	0.033	–
184/मि–1	0.066	–	229/8	0.022	–
185	0.293	–	229/9	0.055	–
186	0.360	–	229/10	0.027	–
187	0.206	–	229/11	0.022	–
188	0.328	–	229/12	0.011	–
189	0.198	–	229/13	0.022	–
190	0.600	–	229/14/1	0.011	–
191	0.437	–	229/14/2	0.011	–
192	1.502	–	229/15	0.014	–
193/2	0.022	–	229/16	0.016	–
193/3	0.012	–	229/17	0.016	–
193/4	0.012	–	229/18	0.022	–
193/5	0.012	–	230/1/1	0.023	–

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
230/1/2	0.014	–	232/5	0.150	–
230/1/3	0.011	–	264/1/1	0.072	–
230/1/4	0.022	–	264/1/2	0.071	–
230/1/5	0.011	–	264/1/3	0.071	–
230/1/6	0.022	–	264/1/4	0.082	–
230/1/9	0.067	–	264/1/5	0.015	–
230/1/10	0.067	–	264/2	0.022	–
230/1/11	0.067	–	264/3	0.011	–
230/1/12	0.011	–	264/4	0.014	–
230/1/13	0.011	–	264/5	0.022	–
230/1/14	0.008	–	264/6	0.006	–
230/1मि–7	0.218	–	264/7	0.011	–
230/1मि–8	0.046	–	264/8	0.011	–
230/2	0.011	–	264/9	0.009	–
230/3	0.022	–	264/10	0.009	–
231/1	0.302	–	265/1	0.280	–
231/2	0.022	–	265/2	0.280	–
231/3	0.016	–	265/3	0.020	–
231/4	0.011	–	265/4	0.020	–
231/5	0.042	–	265/5	0.020	–
231/6	0.011	–	265/6	0.020	–
231/7	0.011	–	265/7	0.020	–
231/8	0.017	–	267/1	0.115	–
231/9	0.011	–	267/2	0.115	–
231/10/2	0.011	–	268/1	0.085	–
231/11	0.075	–	268/2	0.085	–
231/12	0.075	–	269/1/1	0.540	–
231/13	0.076	–	269/1/2	0.490	–
231/14	0.076	–	269/2	0.009	–
231/मि–10	0.150	–	269/3	0.009	–
232/1	0.100	–	269/4	0.009	–
232/2	0.100	–	269/5	0.014	–
232/3	0.100	–	269/6	0.044	–
232/4	0.150	–	269/7	0.022	–

(1)	(2)	(3)
269/8/1	0.008	–
269/8/2	0.008	–
269/9	0.022	–
269/10	0.022	–
269/11	0.006	–
269/12	0.022	–
269/13	0.009	–
269/14	0.011	–
269/15	0.066	–
269/16	0.022	–
269/17	0.006	–
270/1	0.011	–
270/2	0.011	–
271	0.010	–
273	0.010	–
274/1/1	0.110	–
275	0.410	–
कुल योग . .	16.825	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 10/14 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 04-अ-82-14-15-भू-अर्जन-10046.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—आमला

(ग) ग्राम—मोरखा

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—64

(ङ) क्षेत्रफल—0.307 हे.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
217/8	0.202
217/5	0.105
योग . .	0.307

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मोरखा लघु जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु मौजा मोरखा तहसील आमला की निजी भूमि का अर्जन.

(3) चूंकि मोरखा लघु जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु मौजा मोरखा के हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, किन्तु मौके पर सुनवाई के दौरान कोई आपत्ति न होना बताया गया है तथा उनके विस्थापन एवं पुनर्वास नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र.-5445-रीडर-भू-अर्जन-2016-कलेक्टर-रा.प्र.क्र.-17A-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—तलुन बुजुर्ग

(घ) क्षेत्रफल—5.870 हेक्टेयर

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
32	0.035
36/2	0.480
44	0.430
45/1	0.120
45/2	0.060
47/3	0.100
47/4	0.130
47/5	0.170
49/1	0.195
49/7	0.130
35/2, 35/3, 51	0.205
52/3	0.400
52/2	0.040
54/1	0.300
56/4	0.255
56/6	0.360
56/7	0.120
57, 58/2	0.540
58/1	0.190
75/1	0.260
70/2 74 75/2 75/3	0.485
75/4	0.240
76/1, 77/4/1	0.140
76/2, 77/4/2	0.170
77/3 78/2	0.315
योग . .	5.870

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2016

क्र. C-3828-दो-2-31-2014.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 6 से 9 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3830-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 6 से 9 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3832-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 17 से 27 अगस्त 2016 तक ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डावर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3834-दो-2-4-2015.—श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 10 से 12 अगस्त 2016 तक तीन दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 22 से 26 अगस्त 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-2603-दो-2-38-2014.—श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 19 से 24 जुलाई 2016 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश तथा दिनांक 25 जुलाई से 1 अगस्त 2016 तक आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. जाटव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2605-दो-2-30-2014.—श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 30 अगस्त से 3 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2607-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 23 से 26 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2609-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 16 से 17 अगस्त 2016 तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 18 से 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. 946-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (सीनियर).	बड़वानी	मुरैना	मुरैना	सिविल जिला, मुरैना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अभय कुमार (सक्सेना) के स्थान पर.
2	अभय कुमार (सक्सेना)	मुरैना	ग्वालियर	ग्वालियर	सिविल जिला, ग्वालियर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी भारती बघेल के स्थान पर.
3	श्री राजेश कुमार कोष्टा	हरदा	पन्ना	पन्ना	सिविल जिला, पन्ना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ओम प्रकाश सुनरया के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	श्री विमल प्रकाश	मंदसौर	रायसेन	रायसेन	सिविल जिला, रायसेन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिशिर कांत चौबे के स्थान पर.
5	श्री सुशील कुमार शर्मा	मुरैना	सिवनी	सिवनी	सिविल जिला, सिवनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री मृत्युंजय सिंह	रायसेन	डिण्डौरी	डिण्डौरी	सिविल जिला, डिण्डौरी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री हरि शंकर वैश्य के स्थान पर.
7	श्री संजीव दत्ता	सागर	गुना	गुना	सिविल जिला, गुना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती दुर्गा डाबर के स्थान पर.
8	श्री ऋषभ कुमार सिंघई	जबलपुर	सीहोर	सीहोर	सिविल जिला, सीहोर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री रवि कुमार नायक, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	गुना	अनूपपुर	अनूपपुर	सिविल जिला, अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा,	देवास	बड़वानी	बड़वानी	सिविल जिला, बड़वानी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (सीनियर) के स्थान पर.
11	श्री तारकेश्वर सिंह	दतिया	भिण्ड	भिण्ड	सिविल जिला, भिण्ड. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्याम सुन्दर गर्ग के स्थान पर.

क्र. 947-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99 क्रमांक फा. 1-2-90/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90 इक्कीस-ब(एक) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डॉ. विजय कुमार अग्रवाल	बैतूल	हरदा	हरदा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से. श्री राजेश कुमार कोष्टा के स्थान पर.	हरदा
2	श्री राम लाल यादव	उज्जैन	मंदसौर	मंदसौर	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री विमल प्रकाश के स्थान पर.	मंदसौर
3	श्री राजेश कुमार गुप्ता	इंदौर	मुरैना	मुरैना	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर.	मुरैना
4	श्री अफसर जावेद खान	खरगोन	रायसेन	रायसेन	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से. श्री मृत्युजंय सिंह के स्थान पर.	रायसेन
5	श्री योगेश कुमार गुप्ता	भिण्ड	सागर	सागर	पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजीव दत्ता के स्थान पर.	सागर
6	श्रीमती आशा गोधा	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से. श्री ऋषभ कुमार सिंघई के स्थान पर.	जबलपुर
7	श्री योगेश चन्द्र गुप्त	जबलपुर	देवास	देवास	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से. श्री प्रेम चन्द्र शर्मा के स्थान पर.	देवास
8	श्री विनोद कुमार	टीकमगढ़	सीधी	सीधी	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से. श्री लीलाधर बोरासी के स्थान पर.	सीधी
9	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	डिण्डौरी	दतिया	दतिया	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से. श्री तारकेश्वर सिंह के स्थान पर.	दतिया

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.